राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक ५] द्वितीय विधान सभा के पंचम सत्र, १९५९ का १३वां दिवस [संख्या १०

शनिवार २८ फरवरी, १९५९

विधान सभा की बैठक म. पू. ८ बज कर ३० मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

विधायी कार्य

नाथद्वारा मन्दिर विधेयक, १९५९

(अग्रेतक खण्डशः विचार–विमर्श)

श्री अध्यक्ष : क्लॉज़ पांच तो पारित हो चुका, अब क्लॉज़ ६ पर विचार किया जायगा। श्री मनोहर कोठारी का एक संशोधन है। श्री मनोहर कोठारी।

(अनुपस्थित)

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने इसके बारे में एक पिटिशन पेश की थी, उसका कोई जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : आपकी पिटिशन स्वीकार नहीं की गई है, इसका उत्तर आपको दे दिया गया है।

प्रश्न यह है क्लॉज़ ६ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

(क्लॉज़ ६ विधेयक का अंग बना)

(विराम)

क्लॉज़ ७, श्री पी० के० चौधरी।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : माननीय अध्यक्ष, I move, that clause 7, Part (b) of sub-clause (1) be deleted.

अध्यक्ष महोदय, इस सब क्लॉज़ के भाग (ए) में प्रोविज़न रखा गया है कि कोई मेम्बर चार मीटिंग्ज़ से ज़्यादा में एब्सेन्ट रहे तो वह बोर्ड का मेम्बर नहीं रहेगा। यह जो बोर्ड है, वह ऑल इन्डिया बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूट किया जायगा। मुमकिन है कि बहुत से मेम्बर्स मीटिंग्ज़ में हमेशा हाज़िर नहीं हो सकें। इसलिये मेरे ख्याल से कॉन्सिक्युटिव चार मिटिंग्ज़ में हाज़िर न होने पर किसी मेम्बर को अलग कर देना ठीक नहीं होगा जो मेम्बर इसमें इन्ट्रेस्टेड होंगे वे तो जरूर अटेन्ड करेंगे ही। लेकिन कॉन्सिक्युटिव रखना ठीक नहीं है, मान लीजिये वे लगातार मिटिंग्ज़ में आ नहीं सकें। इम्पोर्टेन्ट मेम्बर हैं और वह काफ़ी दूर दूर रहते हैं जैसे कोई कलकत्ता बम्बई आदि रहते हैं, वे दूर से न आ सके तो उन लोगों के लिये ऐसे क्लॉज़ का रखना ठीक नहीं होगा। अलटीमेटली इसका नतीजा यह निकलेगा कि बहुत से लोग

Page No.2

(श्री पी० के० चौधरी)

जिनके ऊपर इस सम्प्रदाय के लोगों का कॉन्फीडेन्स है और दूर रहने की वजह से डिसक्वालिफाई हो जायेंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि यह क्लॉज़ इसमें नहीं रखना चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इसके लिये मैं यह अर्ज़ करूंगा कि बोर्ड का मैनेजमेंट ऐसे व्यक्तियों के हाथ में हो, जो इफेक्टिव हों और इसमें दिलचस्पी से काम लेते हों। अगर कोई मेम्बर दिलचस्पी नहीं लेता है और मीटिंग्ज़ में लगातार चार दफ़ा गैर हाज़िर रहता है, तो उसको बोर्ड में रखने से क्या फायदा? हम चाहते हैं कि बोर्ड का कार्य ऐसे लोगों के हाथ में हो, जो उसमें दिलचस्पी रखते हों। जो उसमें इन्टरेस्टेड नहीं, रुचि नहीं लेते, उनको बोर्ड में रखने से कोई फ़ायदा नहीं। हमने रखा है, चार कॉन्सिक्युटिव मीटिंग्ज़ में विदाउट लीव एब्सेन्ट रहता है उस हालत में यह लागू होगा। अगर वह एब्सेन्ट रहने के लिये मजबूरी बता देता है तो he may remain absent, he will be off. He has every right to remain absent from the Committee and there will be no action. मगर चूंकि इसी प्रकार का चैक म्युनिसिपेलिटीज़ में भी रखा गया है, अगर लगातार तीन कॉन्सिक्युटिव मीटिंग्ज़ में हाज़िर नहीं होता है then the member is removed from the membership. अगर बोर्ड के अन्दर अहमदाबाद, कलकत्ता, बम्बई के मेम्बर उपस्थित न हों और काम चलता रहे। They will remain members on the paper. That will not be fair. I, therefore, request the Hon'ble members to consider this aspect and my friend will withdraw the amendment.

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू): अध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से भी इसकी जरूरत है। म्युनिसिपेलिटी में तो ऐसा होता है कि मेम्बर्स नज़दीक के होते हैं इस पर भी हाज़िर नहीं होते, इस प्रकार का (अश्रव्य) तो होना चाहिये।

श्री पी० के० चौधरी : I may be permitted to withdraw my amendment.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री पी० के० चौधरी को अपना संशोधन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई

श्री पी० के० चौधरी : I withdraw my amendment.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ७ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ७ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ ८

क्लॉज़ ८। डॉ चन्द्रकला।

(अनुपस्थित)

श्री मनोहर कोठारी।

(अनुपस्थित)

Page No.3

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ८ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ८ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ ६

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ६ विधेयक का अंग बना

(विराम)

क्लॉज़ १०

श्री मनोहर कोठारी।

(अनुपस्थित)

डॉ० बहादुरसिंह।

श्री बहादुरसिंह (धौलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा जो इस क्लॉज़ में संशोधन है, वह बहुत छोटा सा है। क्लॉज़ १० के सब क्लॉज़ ३ में यह प्रावधान है कि जब बोर्ड डिज़ोल्व होगा, तो उसका चार्ज एक पर्सन को दिया जायगा। मेरा यह निवेदन है कि उसके लिये एक कमेटी बनायी जाय, चाहे उसमें दो ही मेम्बर हों या तीन हों, मैंने संख्या इसीलिये नहीं दी है। एक व्यक्ति को इतनी बड़ी सम्पत्ति का चार्ज देना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। जब सरकार उस बोर्ड को डिज़ोल्व करे, तो उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिये एक कमेटी मुकर्रर कर दी जाय। यह मेरा सुझाव है कि बजाय पर्सन के कमेटी रखी जाय।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ १० द्वारा यह व्यवस्था की जा रही है कि जो बोर्ड का गठन इस कानून से किया जायगा उस बोर्ड को राज्य सरकार भंग करना चाहेगी, तो उसे भंग कर दिया जायगा। अध्यक्ष महोदय, परसों जब इस विधेयक के सिद्धान्त के ऊपर वाद-विवाद हो रहा था, उस वाद-विवाद पर बोलते हुए माननीय राजस्व मन्त्री ने एक बात कही थी और इस बात की ओर उन्होंने विशेष तौर से ध्यान दिलाया था कि सरकार के हाथ में सत्ता नहीं रहेगी, सरकार का हस्तक्षेप इस मन्दिर के प्रशासन पर नहीं रहेगा। लेकिन कुछ ऐसा लगता है कि उस समय जो बात कहीं गई थी, उस समय शायद बोर्ड के विघटन–पुनर्गठन, ये दोनों बातें सरकार के हाथ में होंगी, इस बात की जानकारी या तो होगी नहीं और यदि जानकारी थी तो शायद इस बात को भुलाकर इस प्रकार की बात कही गई होगी। जब क्लॉज़ १० को पढ़ा जाता है, तो उससे स्पष्ट लगता है कि बोर्ड के नाम पर सरकार सारी सत्ता मन्दिर की अपने हाथ में ले रही है। कमिश्नर, चीफ एग्ज़ीक्युटिव ऑफिसर इन दो के हाथ में सारी मन्दिर के प्रशासन को दिया गया है। सरकार से समय समय पर किसी कार्य के करने या न करने के बारे में अनुमति प्राप्त करने की इस विधेयक के अन्य क्लॉज़ेज़ के अनुसार बोर्ड को आवश्यकता होगी।

सरकार किसी भी समय, किसी भी आज्ञा का पालन करने, बोर्ड के किसी भी रेज़ोल्युशन को कार्यान्वित करने या न करने के बारे में निर्देशन

Page No.4

(श्री भैरोंसिंह)

दे सकती है। तो तात्पर्य इस का यह हुआ कि सरकार को हर क्षेत्र में, बोर्ड के हर कार्य में, बोर्ड के हर प्रस्ताव के अन्दर दखल देने का अधिकार है। अब उसके बावजूद भी कुछ ऐसा लगता है कि सरकार इससे सन्तोष अनुभव नहीं करती। सरकार फिर भी महसूस करती है कि कलेक्टर और कमिश्नर के रहने के बावजूद भी इसके द्वारा कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जिसको सरकार पसन्द न करे। मैं समझता हूं इस प्रकार के बोर्ड के गठन के बाद सरकार को चाहिये तो यह था कि सरकार इस प्रकार का पॉवर अपने हाथ में न लेती और लटकती तलवार उन पर नहीं छोड़ती। पर सरकार आतुर है सारी पॉवर अपने हाथ में लेने को। यदि इस प्रकार की तलवार लटकती रही, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि जिन सात व्यक्तियों के मनोनयन द्वारा वह कमेटी बनेगी, उन लोगों की मनोवृत्ति क्या होगी, वे लोग धार्मिक दृष्टि से, क्या चीज़ उपयुक्त है, इसका निर्णय करने के बजाय सरकार को खुश करने की दृष्टि से वे कमिश्नर और चीफ एग्ज़ीक्युटिव ऑफिसरों के इशारे पर नाचते रहेंगे। सरकार कह सकती है, हमारा कोई धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं है। पर सरकार की मनोनीत करने की जो दृष्टि है, नगरपालिकाओं में जो मनोनीत करती है, अन्य समितियां बनती हैं, उनको हम देखते हैं, ट्रांसपोर्ट अथोरिटी में जिनको मनोनीत करती है उनको देखते हैं, उन सबसे सरकार का एक दृष्टिकोण स्पष्ट है। सरकार हर क्षेत्र में मनोनयन करने के प्रश्न पर इस विचार को अपने सामने रखती है कि जिसको मनोनीत किया जाता है वह व्यक्ति हमारा कितना फरमावरदार है। उसके अन्दर उस चीज़ को करने की योग्यता है या नहीं, यह अपवादस्वरूप ही प्रश्न पैदा हो जावे तो बात दूसरी है, पर यह बात हमेशा सामने रहती है कि हमारा वह जी हुक्म करने वाला है या नहीं। जी हुक्म करने वाला योग्य भी हो सकता है, मैं यह नहीं कहता जितने अयोग्य व्यक्ति होते हैं, वे ही जी हुक्म करते हैं, कई योग्य हो सकते हैं। पर उनके सामने यह दृष्टिकोण जब रहता है और इस दृष्टिकोण से जिन लोगों को मनोनीत करते हैं, तो एक बात निश्चित रूप से मानी जा सकती है कि उनकी विचारधारा स्पष्ट और स्वतन्त्र नहीं हो सकती, वे उपयुक्त चीज़ नहीं कह सकते और उनका दृष्टिकोण यह रहता है कि मेरी किसी भी चीज़ से या मेरी किसी भी राय से यदि मेरे मनोनयन करने वाले सारे अधिकारियों को खुश रख सका तो सबसे ज्यादा उतम होगा। इस दृष्टिकोण से इन लोगों की राय, सलाह, मशविरा होता है। तो इस तरह की यह व्यवस्था होगी।

ऐसी स्थिति को लेकर अब सरकार यह कहे कि कोई इमर्जेन्सी खड़ी हो सकती है, जिस तरह से नाथद्वारे के जो महन्त श्री हैं, उनके प्रश्न को लेकर ऐसी स्थिति कहां पैदा हो जावे, जिसके कारण हमने यह कानून बनाया है, उस प्रकार की स्थिति यदि चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर या एडमिनिस्ट्रेटर या कमिश्नर या जो चेयरमैन है, उनकी मौजूदगी में ऐसी स्थिति पैदा हो जावे, तो सरकार उस बोर्ड को भंग कर सकती है। मैं निवेदन करूंगा कि सरकार जो भंग कर सकती हैं, इसके लिये भी सरकार को ऑर्डर इश्यू करना पड़ेगा, एक इन्क्वायरी करनी पड़ेगी, इसके बाद में भंग कर सकेगी।

Page No.5

(श्री भैरोंसिंह)

लेकिन अब से हमने उनके दिमाग में अनिश्चितता की स्थिति पैदा कर दी है । मैं इसका विरोधी हूं । अगर इस तरह की परिस्थिति साल या दो साल बाद आवे भी, तो सरकार के पास अधिकार है । वह असेम्बली में संशोधन बिल ला सकती है और असेम्बली में जल्दी नहीं पास किया जा सकता है, तो जैसी सरकार की आदत पड़ी हुई है, ऑर्डिनेन्स इश्यू करके सारी स्थिति को काबू में कर सकती है । पर इसके ज़रिये भी विधान सभा को कॉन्फ़ीडेन्स में लेने का मौका आवेगा, विचार यहां किया जा सकेगा । जिसका गठन हमने कुछ दिन पहले किया था, जिसमें सरकार के अफ़सर भी मौजूद थे, वे सदस्य भी मौजूद थे, जो कृपापात्र थे । फिर भी गड़बड़ी क्यों हुई, इस पर विवाद करने के लिये, छानबीन करने के लिये, कौनसा अच्छा निर्णय हो सकता है, इसके बारे में यहां चर्चा हो सकेगी । सरकार इस बोर्ड को भंग करने के बारे में विधान सभा में बिल पेश करे और इसकी यदि इतनी जरूरत के कारण से तामील न हो सके तो ऑर्डिनेन्स के ज़रिये भंग कर दे । पर यह नहीं हो सकता कि एक तरफ आप कानून बनावें और साथ ही साथ उसको समाप्त करने की भी व्यवस्था कर दें, दोनों चीजें आज चलाने की आवश्यकता नहीं है । विधान सभा बैठती रहेगी, कानून बनाते रहेंगे, जिस प्रकार लैंएड रेवेन्यु एक्ट में और और कानूनों में आप बार-बार संशोधन लाते हैं, उसी प्रकार की चीज़ यहां हो सकती है । यह कोई नई चीज़ नहीं है । पर यह तरीका बिलकुल गलत है और इस गलत तरीके का विरोध करते हुए मैं चाहूंगा कि इस धारा १० को इस बिल से बिलकुल हटा दिया जावे । यदि यह रही तो बोर्ड का कोई मूल्य नहीं रह जावेगा, यह इफेक्टिव नहीं रह पावेगा । बल्कि यह इन्डिपेन्डेन्ट भी नहीं रह पावेगा और सरकार की ओर देखता रहेगा कि सरकार को किस प्रकार से खुश रक्खा जा सके और फिर यदि परिस्थिति ऐसी आ जावे कि वाजिब बात कहने से नाराज़ हो जावे और उसके कारण से उसे भंग करना चाहे सरकार तो इस प्रकार के अधिकार सरकार के हाथ में लेना, इस स्थिति में जबकि उसे कानून में संशोधन लाने की गुंजाइश है, संशोधन ला सकती है, मैं समझता हूँ बिलकुल उपयुक्त नहीं होगा । इस दृष्टि से मैं सदन के सदस्यों से कहूंगा कि इसका डट कर विरोध करें ।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक धौलपुर से आनेवाले माननीय सदस्य के संशोधन का प्रश्न है, मैं अर्ज़ कर देना चाहता हूं कि 'person' always includes persons. इसलिये कमेटी रखने की जरूरत नहीं है । अभी भी ३ आदमियों को हमने मुकर्रर किया है, मैनेज़मेन्ट के लिये ।

श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो विरोध किया है, इस क्लॉज़ का, और यह बताने की कोशिश की है कि इससे अव्यवस्था होगी, कमेटी के लोगों में विश्वास नहीं होगा । सरकार की मंशा के मुताबिक काम करेंगे, वे स्वतन्त्र मत नहीं दे सकेंगे । मैं इस बारे में सिर्फ़ इतना कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य यह स्थिति पैदा करना चाहते हैं कि गड़बड़ियां की जाती रहें, लगातार अपने कर्तव्य को वे अन्जाम न दें, तो भी कोई एक्शन उनके खिलाफ़ न लिया जावे । यह मैं उचित नहीं समझता । उन्होंने

Page No.6

(श्री दामोदरलाल व्यास)

इसके लिये कहा कि अगर ऐसा हो तो सरकार के पास ऑर्डिनेन्स की पॉवर है, उससे काम ले। असेम्बली बैठ सकती है उस में संशोधन लाकर ऐसा किया जा सकता है। पर मैं निवेदन करना च हता हूं कि जानकारी नहीं है माननीय सदस्य को दूसरे कानूनों की। अगर जानकारी होती तो इस प्रकार की बहस नहीं करते। हर एक कानून जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, म्युनिसिपल बोर्ड है या लोकल बॉडीज के कानून हैं, यह प्रॉवीज़न सब में रहता है। अगर वे अपने कर्त्तव्यों को अन्जाम नहीं दें तो डिज़ाल्व किया जा सकता है, after due notice. नोटिस दिया जावेगा, इसके बाद डिजाल्व किया जावेगा। तो हरएक पर इस तरह से अधिकार है सरकार का। मैं नहीं समझता इस का क्या मतलब है। इस के बिना किसी बोर्ड का गठन बेकार हो जाता है। इसलिये अर्ज़ करूंगा कि माननीय सदस्य अपने संशोधनो को विथड्रा करें और फिर विरोध जो है, जैसा है, वैसा मैंने अर्ज कर ही दिया।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : मैंनें जो संशोधन प्रस्ताव रखा है उसे वापिस लेने की इजाज़त चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन डॉ० बहादुरसिंह ने रक्खा है उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : I don't want to move.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १० स्वीकार किया जाय ?

श्री भैरोंसिंह : पास नहीं की जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १० स्वीकार किया जाये ?

(मतदान के पश्चात्)

हां पक्ष जीता

श्री भैरोंसिंह : 'ना' पक्ष जीता।

श्री अध्यक्ष : क्या आप डिवीज़न चाहते हैं ?

श्री भैरोंसिंह : जी हां।

श्री अध्यक्ष : जो इसके पक्ष में हों कि क्लॉज़ १० स्वीकार किया जाये कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जायें।

(राज्य पक्ष के सभी माननीय सदस्यों व विरोधी दल के कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : खड़ा होना तो साहब हमने स्कूल में ही काफी कर लिया था लॉबीज़ का सिस्टम रखना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जाइये। जो इसके विरोध में हों, वे खड़े हो जायें।

श्री भैरोंसिंह : बस साहब। (कुछ विरोधी दल के सदस्यों की ओर संकेत) उधर जाकर बैठ जाइये। श्री नाथूरामजी के धम-

Page No.7

(श्री भैरोंसिंह)

काने से तो उधर ही जाकर बैठ जायें तो अच्छा हो ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है क्लॉज़ १० स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १० विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

क्लाज़ ११

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ११ को स्वीकार किया जाये ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ११ विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

क्लॉज़ १२,

श्री पी० के० चौधरी ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : I want to move the amendment. I move, that in clause 12, the expression, 'other than ex officio member' be deleted.

अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ १२ में लाएबिलिटी का सवाल आता है । उसमें रखा गया है :

"Every member other than the ex-officio member of the Board including the President shall be liable for the loss, waste or misapplication of any money or other property belonging to, or constituting, the endowment if such loss, waste or misapplication is a direct consequence of his wilful act or omission while holding office, and a suit for compensation may be instituted against him by the Board or by the State Government".

अध्यक्ष महोदय, यहां पर एक्स ऑफीशियो मेम्बर जो हैं, वह कमिश्नर साहब रहेंगे । आप देखेंगे कि कमिश्नर साहब को रिमूवल से अलग रखा है । क्लॉज़ ७ में रिमूवल का ज़िक्र है ।

"The State Government may remove from office the President or any member, other than the ex-officio member, of the Board including the Goswami on any of following grounds.. ." याने गोस्वामी और एक्स ऑफिशियो मेम्बर को नहीं हटाया जा सकेगा । लेकिन यहां पर स्टेचुटरली प्रोवाइड कर रहे हैं कि एक्स ऑफीशियो मेम्बर को बोर्ड से रिमूव नहीं कर सकते और साथ ही साथ जहां रेस्पॉन्सिबिलिटी का सवाल आता है, वहां भी हम यह रखते हैं कि वह चाहे किसी भी चीज़ का मिस-एप्रोप्रियेशन भी कर ले, मिस एप्रोप्रियेशन भी कर ले तो भी उसको नहीं हटायेंगे । मैं समझता हूँ कि यह एक अजीब सी मिसाल रखी जाती है । उसको गलत काम करने की छूट देते हैं We are giving him powers as he likes. लेकिन हम उसको रिमूव नहीं करते हैं । मैं कहता हूं कि यह अजीब सी बात है । इस तरह का कोई भी स्टेचुटरी प्रोविज़न किसी भी कानून में नहीं मिलेगा, जहां कि रेस्पोन्सिबिलिटी नहीं दी जाती है । लेकिन as he likes willfully काम कर सकता है........

श्री दामोदरलाल व्यास : Mr. Speaker, to cut short the debate, I would like to accept the amendment.

श्री पी० के० चौधरी : If the Hon'ble Minister has accepted my amendment, I am not debating it.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १२ में जो संशोधन श्री पी० के० चौधरी ने रखा है उसे स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि 'क्लॉज़ १२' को संशोधनानुसार स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १२, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ १३

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १३ स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १३ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ १४.

श्री अध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ १४ पर जो मेरा अमेन्डमेंट है वह सब-क्लॉज़ (४) में है।

"Every meeting of the Board shall be presided over by the President and, in his absence, by a member chosen to preside for the occasion".

यह उसका प्रेजेन्ट वर्डिंग है और मैंने इसमें सजेस्ट किया है :

insert the words by members present' between the words' chosen' and 'to". सवाल यह आता है कि एक क्वालिफिकेशन तो नहीं रहती है 'to be chosen by whom, state Government may chose. तो वह बड़ी आकवर्ड पोज़ीशन रहती है। मान लीजिए कि प्रेसीडेन्ट बीमार हो जाता है या कहीं चला जाता है या नहीं रहता है तो....

श्री दामोदरलाल व्यास : That is also accepted.

श्री अध्यक्ष : जो वर्डिंग हैं उसी तरह से उनको एक्सैप्ट करते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : By the members presents I agree with it.

श्री पी० के० चौधरी : Otherwise it will become ambiguous.

श्री दामोदरलाल व्यास : Insert the words' by members present' between the words 'chosen' and 'to'.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ १४ में श्री पी० के० चौधरी ने रखा है उसे स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

Page No.9

(श्री अध्यक्ष)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १४ संशोधनानुसार स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १४ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ १५

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १५ स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १५ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ १६

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १६ स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १६ विधेयक का अंग बना।

क्लॉज़ १७

डॉ० चन्द्रकला।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १७ स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १७ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ १८ तथा १६

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ १८ तथा १६ स्वीकार किये जायें ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ेज़ १८ तथा १६ विधेयक के अंग बने।

क्लॉज़ २०.

श्री अध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): Here in Clause 20. I wanted to add, Sir, after the words 'power' the words 'subject to the confirmation by the Board'. अध्यक्ष महोदय, चीफ एग्ज़ीक्युटिव ऑफिसर को यहां तक पॉवर्स दी जाती हैं कि वह किसी भी पीरियड के लिए लीज़ आउट कर सकता है to call for tenders for works or supplies and accept such tenders when the amount of value thereof does not exceed five thousand rupees. ".

अध्यक्ष महोदय, आगे चलकर आप देखेंगे कि चीफ एग्ज़ीक्युटिव ऑफिसर के ऊपर बोर्ड का कोई कन्ट्रोल नहीं है। चीफ एग्ज़ीक्युटिव ऑफिसर जो वह गवर्नमेन्ट अपॉइन्ट करेगी, बोर्ड उसको तनख्वाह जरूर

(श्री पी० के० चौधरी)

देगा लेकिन बोर्ड का उस पर कोई कन्ट्रोल नहीं रहेगा। इसके जो इकॉनामिक अफेयर्स का मैनेजमेन्ट है उसमें भी लीज़ आउट करने का और कोई भी काम हो वह तीन साल के लिए लीज़ आउट कर सकता है। तो मेरे ख्याल से तीन साल का काफी समय होता है और काफी लम्बा अरसा होता है, तो मेरा जो अमेंडमेंट है उसका मतलब यह नहीं है कि चीफ एग्ज़ीक्युटिव ऑफिसर यह काम नहीं कर सकेगा लेकिन उसके करने के बाद में बोर्ड से उसको उस काम का कन्फर्मेशन कराना पड़ेगा, ऐसा मैं चाहता हूं। मैं मानता हूं कि जब उस पर बोर्ड का कोई कन्ट्रोल नहीं होता है चीफ एग्ज़ीक्युटिव ऑफिसर के ऊपर तो एक तरफ तो हमने रखा है, the Chief Executive Officer shall subject to the control of the Board. लेकिन जो व्यक्ति के जरिये से काम करना है, जो कलेक्टर साहब हैं उनके जरिये काम होता है, आपके यहां सेक्रेट्री है उनके जरिये काम होता है, लेकिन एक मिनिस्टर को, एक चपरासी को भी अपॉइन्ट करने का अधिकार नहीं है, अपॉइन्टमेंट सेक्रेटरी करता है। उसका कन्ट्रोल सेक्रेटरी के ऊपर है, वह हटा सकता है, रिमूव करा सकता है। आज बोर्ड के पास में न चीफ एग्ज़ीक्युटिव ऑफिसर को अपॉइन्ट करने का अधिकार है और न रिमूव करने का अधिकार है। उसके बाद मैनेजमेंट के सारे कामों का एग्जीक्युशन चीफ एग्ज़ीक्युटिव ऑफिसर करेगा और उसके काम का कंट्रोल बोर्ड के हाथ में है नहीं। इसलिए मेरा सुझाव है कि, चीफ एग्ज़ीक्युटिव ऑफिसर काम करे, After that this thing should be placed before the Board for its confirmation. मान लीजिये बोर्ड डिसएप्रूव करता है, then he will have to cancel this transaction. इसका मतलब यह होता है कि....

श्री अध्यक्ष : आप क्लॉज १६ (४) देखिये।

श्री पी० के० चौधरी : सब क्लॉज़ (१)

श्री अध्यक्ष : क्लॉज़ १६ का सब क्लाज (४)

"The Chief Executive Officer shall subject to the control of the Board have general power to carry out the provisions of this Act."

श्री पी० के० चौधरी : ये जनरल पॉवर्स हैं लेकिन क्लॉज २० को पढ़ कर देखिये। He shall have power तो फिर 'subject to confirmation of the Board' रखने में दिक्कत क्यों होती है, यह मेरी समझ में नहीं आता। जनरल पॉवर्स दे दीजिये कि वह जमीन या टेम्पल की प्रोमिसेज़ को रेंट पर दे दे, लीज़ पर दे दे। मान लीजिये कि किसी व्यक्ति को रेंट पर दे दे तीन साल के लिए then how the Board is going to control it? The Chief Executive Officer is fully authorised to enter into contracts. बोर्ड उसे रिमूव नहीं कर सकता क्योंकि कांट्रेक्ट लॉ के अनुसार एग्रीमेन्ट में एन्टर कर लिया है। कन्ट्रेक्ट लॉ के अनुसार बोर्ड कैंसिल नहीं कर सकता। All these things are of contract. किसी को लीज़ आउट करे कोई काम भी करे This is a check only, उसे कॉन्ट्रेक्ट लॉ में लेंगे, और मान लीजिये कि कोई काम गलत किया है तो वह भी कैंसिल नहीं हो सकता। इसलिए जो अमेंडमेंट रखा है उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। चीफ एग्ज़ीक्युटिव ऑफिसर को सारी पॉवर्स रहती हैं it is under the hands of

(पी० के० चौधरी)

the Chief Executive Officer यह नेचुरल बात है। बोर्ड के ऊपर मैनेजमेंट की सारी रेस्पोन्सिबिलिटी रखी हैं लेकिन अगर एग्जीक्युशन के ऑर्डर्स हो गये तो प्रेसीडेन्ट उसको पास नहीं करेगा we are giving him right besides the general supervision. इतना कंट्रोल नहीं रखा है। इसलिए यह जरूरी है। क्लॉज़ १६ के अन्दर जनरल सुपरविजन का रखा है He shall have power to carry out the provisions of this ordinance. इसका स्पेसिफिक मेन्शन कर रहे हैं He shall subject to the control of the Board have genral power......... जब सेक्शन २० में प्रोवाइड करते हैं It means that he is exempted from the control of the Board and can lease out for a period not exceeding three years. तो मैं समझता हूं इस तरह से करना एक गलत चीज रहेगी It is not good in the principle. इस तरह देने के बाद में जाकर कोई गड़बड़ी होती है, शिकायत होती है Then the Board is responsible for it and not the Chief Executive Officer This is, therefore, requested that the Hon'ble Ministers will kindly accept it.

श्री दामोदरलाल व्यास : Hon'ble Ministers have delegated all powers to the Collectors etc.

श्री पी० के० चौधरी : The Board cannot remove the Commissioner.

श्री दामोदरलाल व्यास : The Board can.

श्री पी० के० चौधरी : The Board cannot do it.

श्री दामोदरलाल व्यास : Have you finished?

श्री पी० के० चौधरी : Yes.

श्री दामोदरलाल व्यास (मंत्री देवस्थान विभाग) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने पॉइन्ट आउट किया, जो प्रोविज़न १६१४ में है, मेरे ख्याल से वह प्रोविजन काफी है इस बात को पूरा करने के लिए जो कि माननीय सदस्य चाहते हैं। जनरल कंट्रोल होना चाहिए एग्ज़ीक्युटिव ऑफिसर के ऊपर। बहरहाल, एग्ज़ीक्युटिव ऑफिसर अपॉइन्ट करते हैं तो बगैर पॉवर्स के चीफ एग्जीक्युटिव ऑफिसर क्या काम करेगा? उसको लिमिटेड पॉवर्स दी हैं। वह लीज़ आउट कर सकेगा, वह टेन्डर इन्वाइट करेगा। They can of course disapprove it. इसमें यह रखने की जरूरत नहीं है. जो कि माननीय सदस्य द्वारा रखा गया है, "Subject to approval of the Board." इसका मतलब यह है कि अगर बोर्ड एप्रूव न करदे तो वह कोई काम नहीं कर सकता। मैं अर्ज करूंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन में भी आप देखेंगे कि कलेक्टर को कुछ पॉवर्स होती हैं, तहसीलदार को पॉवर्स होती हैं, एस. डी. ओ. की पॉवर्स होती हैं, according to their rank financil powars हैं, लीज, सेल करने की पॉवर्स हैं। अगर कोई पॉवर्स न हों तो रिज़ल्ट यह होगा कि कोई काम नहीं होगा। अगर बोर्ड नहीं बैठेगा तो कोई काम नहीं होगा। एग्ज़ीक्युटिव ऑफिसर सिर्फ इसलिए रहेगा कि वह बोर्ड के सामने पेपर्स पेश कर दे। इतने बड़े ऑफिसर को एग्ज़ीक्युटिव ऑफिसर बना दिया और उसे कोई पॉवर्स न दे और बोर्ड से यह एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि वह डे-टू-डे के लिए रोज़ बैठेगा। आफ्टर ऑल श्री नाथजी की प्रोपर्टी है, उसकी प्रोपर्टी यहां है, बम्बई में है, ऑल ओवर इंडियामें है, आगे एक्वायर करले। इन सब प्रोपर्टी

(श्री दामोदरलाल व्यास)

को लीज़ करने का सवाल हो तो बोर्ड की कन्सेन्ट लेनी होगी, यह ठीक नहीं है। अगर १००, १५० साल के लिए अगर लीज़ देता है, then of course he should not have powers. रीज़नेबल लीज़ के लिए वह आॅर्डर्स कर सकता है, टेन्डर इन्वाइट कर सकता है। इतनी रकम तक वह टेन्डर इन्वाइट कर सकता है। He is a serviceman. He is responsible to the Government जैसा कि क्लॉज़ १६ (४) में है, Subject to the control of the Board इसलिए आपका जो एप्रीहेन्सन है कि उसको अनलिमिटेड पॉवर्स हो जायेंगी, इसकी गुंजाईश नहीं। He will be controlled under sub sec. 4 of Sec. 19 of the Board also. हमारे एग्ज़ीक्युटिव ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिसर, सिविलियन्स केवल मिस यूज़ करते हैं, यह बात दिमाग में नहीं आनी चाहिए। यह सोचना चाहिए कि वे पॉवर्स को ठीक तरह से यूज़ करेंगे। उनके सर्विस रूल्स डिटरमिन होंगे, एक्शन पर डिसिप्लीनरी एक्शन हो सकेगा। इसलिए इस एप्रीहेन्सन की आवश्यकता नहीं है। मैं माननीय सदस्य को अर्ज करूं कि क्लॉज १६ (४) को देखने के बाद यह ज्ञात होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए हमें पावर्स डेलीगेट करनी पड़ेगी जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन चलता रहे। नाथद्वारा की काफी प्रोपर्टी है, जगह जगह है, इसलिए यह करना जरूरी है। मैं निवेदन करूंगा कि वे अपना संशोधन वापिस ले लें।

श्री पी. के. चौधरी : I may be permitted to withdraw it.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री पी. के. चौधरी ने रखा है उसे उन्हें वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई

श्री पी. के. चौधरी : I withdraw my amendment.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २० स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २० विधेयक का अंग बना

(विराम)

क्लॉज़ २१.

श्री पी. के. चौधरी : I don't want to move it.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २१ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २१ विधेयक का अंग बना।

क्लॉज़ २२.

श्री श्रीभानसिंह : क्लॉज़ २२ पर बोल रहे हैं।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह जो क्लॉज़ २२ है, इसका मैं मूल रुप से विरोध करता हूँ। इस धारा को हटा देना चाहिए। इसका विरोध इसलिए कर रहा हूँ कि मंदिर का मैनेजमेंट करना जरूरी है और मैनेजमेंट जो करता है वह अधिकार मांगता है लेकिन कुछ लोगों का एक रूढ़िवादी

Page No.13

(डॉ० बहादुरसिंह)

तरीका था, जो कि गलत मैनेजमेंट था और उस गलत मैनेजमेंट की वजह से लोगों ने जबरदस्ती हक बना रखा है। उस हक को स्वीकार कर लेते हैं तो जिस प्रकार लोग कहते हैं कि छः हज़ार, सात हज़ार लोग हैं जो कि मंदिर पर आश्रित हैं, जो मंदिर के दास हैं। हम दास प्रथा को नहीं रखना चाहते हैं। हमने जागीरदारी प्रथा समाप्त की और उसके बाद गोलियों की और बांदियों को आजादी दे रखी है। लेकिन आज जो मंदिर के दास हैं, वहां जो स प्रथा है, उनको मुक्ति नहीं मिलेगी। (हिअर, हिअर की आवाज) इसलिए अब आवश्यकता इस बात की है कि इस धारा को हटा देना चाहिए। जो लोग वहां सर्विस करेंगे, उनका जितना श्रम हो उतना पैसा दिया जायगा। जो वहां के नियम हों, जो वल्लभ सम्प्रदाय के नियम हों, जो फन्डामेन्टल उसूल हों, उनको हम स्वीकार करते हैं लेकिन जो रूढ़िवादी तरीका है, जो गलत तरीका है, उसका मैं विरोध करना चाहता हूँ। हम यह आशा करते हैं कि इस धारा को हटा देने पर वहां जो वल्लभ सम्प्रदाय है उसका सुधार हो, उनका सुधार होगा तो उनको मुक्ति मिल जायगी। जो नारकीय जीवन बिता रहे हैं उसको हटाना है और उनको बाद में रिहेबिलिटेट करदें, उनको किसी प्रकार का रोज़गार देदें। मैं मानता हूँ कि निश्चित-तौर पर ६ हज़ार की एक मानव शक्ति है, जो अभी कुंठित हो गई है, उस शक्ति को दूसरे उपयोग में ला सकते हैं। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि सदन मेरी बात को स्वीकार कर लेगा और इस मूल धारा को इसमें से निकाल दिया जायगा।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): माननीय अध्यक्ष, धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो विचार प्रगट किये हैं मैं उनसे असहमति प्रगट करता हूँ। माननीय अध्यक्ष, धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जागीरदारी और सामन्तशाही को हमने समाप्त किया, उसके साथ ही दास प्रथा को भी समाप्त किया। लेकिन इस बिल के प्रोविज़न्स को देखें तो उन्हें विदित होगा कि नाथद्वारा मंदिर की व्यवस्था को समाप्त नहीं कर रहे हैं, वर्ना कर यह रहे हैं कि मैनेजमेंट किस तरह से ठीक हो, व्यवस्था किस प्रकार से ठीक हो और जो कार्य हो रहा है उसमें गडबड़ी न हो। इस दृष्टिकोण से इसे देखना है। उसके बाद यह है कि जो वहां पुजारी है, यदि इनको बिलकुल समाप्त करें और मन्दिर फंड्स को बिलकुल दूसरे काम में लगा दें, इस बिल में पूजन का और प्रतिष्ठा का रखा है वह नहीं रहेगा। आज बेकारी का युग है बेकारी अभी भी है। ६ हजार आदमियों को बिना किसी कारण के बेकार कर दें तो ठीक नहीं रहेगा। यह सारी चीजें समाप्त कर देते हैं तो पूजन—प्रतिष्ठा समाप्त करने से भेंट वगैरह देते हैं वह भी समाप्त हो जायगी।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना): माननीय अध्यक्ष, जैसा कि माननीय सदस्य जो धौलपुर से आये हैं, उन्होंने अमेंडमेंट रखा कि इस क्लॉज़ को डिलीट कर दिया जाय, मैं इसके समर्थन में कुछ शब्द इस सदन में कहना चाहता हूँ। अभी उदयपुर से आये हुए माननीय सदस्य ने...

एक माननीय सदस्य: उदयपुर से नहीं।

श्री श्रीभानसिंह: उदयपुर डिविज़न से आये हुए माननीय सदस्य ने...

श्री नाथूराम मिर्धा (मंत्री) : हां, हां, समझ गये ।

श्री श्रीभानसिंह : माननीय अध्यक्ष, आजकल नाथूरामजी की समझ तेज़ हो रही है ।

(हंसी)

यह जो कहा कि यह बिल मैनेजमेंट (व्यवस्था) को ठीक करने के लिये बनाया जा रहा है, जहां तक व्यवस्था (मैनेजमेंट) को ठीक करने से सम्बन्ध है मैं इसका विरोध नहीं करता और न धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य इसका विरोध करते हैं, पर हमें देखना यह है कि कहीं वह क्लॉज़ ऐसा तो नहीं है कि जो मैनेजमेंट (व्यवस्था) सरकार ठीक करने जा रही है, और वह, सरकार अपने हाथ में लेने जा रही है, वह क्लॉज उस मैनेजमेंट और व्यवस्था को खराब तो नहीं करते ।

मैं सदन को फिर याद दिलाऊं कि इस बिल की सदन में लाने की जरूरत क्यों पड़ी । इस बिल की जरूरत के बारे में मैं संक्षिप्त में कहूँ महन्त श्री हैं, उन्होंने मन्दिर की सम्पत्ति में, व्यवस्था में हस्तक्षेप किया, सम्पत्ति का दुरुपयोग किया और यहां तक कि सरकार को पुलिस को बुलाने की नौबत पड़ी । इसमें उन्होंने कई व्यक्तियों को लपेटा कि राजस्थान के अन्दर नाथद्वारा टेम्पल का स्केन्डल बन गया । जिस मन्दिर और मूर्ति के प्रति वैष्णव सम्प्रदाय और दूसरे भारतवासी, उस मूर्ति के लिये चीजें चढ़ाते हैं, उन चीजों को महन्तजी ने अपनी पर्सनल प्रोपर्टी बनाना शुरू कर दिया ।

यह क्लॉज न तो अनएम्प्लॉयमेंट क्रियेट करने जारहा है, वह क्लॉज हटा दें तो ६ हज़ार को नौकरी से नहीं हटाना है, न इस क्लॉज के हटाने से इस सम्प्रदाय के लोगों की भावना पर कुठाराघात करते हैं, इस क्लॉज को पढ़ा जाय, सारा नहीं, इतना ही........

"nothing herein contained shall affect any established usage of the temple or the rights, honours, emoluments and prequisites to which any person, may, by custom or otherwise, be entitled in the temple."

तो एनी पर्सन में तो आज तक जो यूजेज़, राइट्स, ऑनर्स इन महन्तजी को, ट्रेडिशन्स दिये हुये हैं, उन पर इस धारा का कोई इफेक्ट नहीं होगा । जब इस धारा से उनके यूजेज़, राइट्स, ट्रेडिशन्स पर इफेक्ट नहीं पड़ता तो महन्तजी की वही पोज़िशन रहेगी जो आज तक रही है । वह जो इससे आज तक लेते आ रहे हैं, जो मन्दिर के अन्दर उनके राइट्स, एस्टेब्लिश्ड हैं; वह नहीं लिये जायेंगे तो फिर इस बिल से किस चीज़ को मैनेज करना चाहते हैं ? मन्दिर को मैनेज करना चाहते हैं तो आइडल और महन्त को सैपरेट करना पड़ेगा । इन दोनों को सैपरेट नहीं करते तो मन्दिर का पर्पज़ हल नहीं होता और जो पर्पज़ हम इस बिल से अचीव करना चाहते हैं वह एचीव नहीं होता । एक हाथ से महन्तजी से ले लेते हैं और दूसरे हाथ से महन्तजी को वापिस दे देते हैं ।

जहां तक आइडल और महन्तजी का सम्बन्ध है, मैं विशेषज्ञ की तरह से तो कह नहीं सकता पर मैं आइडल और महन्त को एक मान कर चलता हूं और सम्प्रदायवाले भी एक समझते हैं तो यह पता नहीं चलेगा कि कब किस आदमी ने महन्तजी को कितनी भेंट की और किसने कब कितनी मूर्ति को भेंट की, इन दोनों को अलग अलग

(श्री श्रीभानसिंह)

नहीं कर सकेंगे। मूर्ति को भेंट की जाती है उसको महन्तजी क्लेम करेंगे कि मेरे यूजेज़ के माफिक यह भेंट मेरी है। यूजेज़. ट्रेडिशन्स वगैरह कहीं अलग डिफाइन हो जाते तो मालूम हो जाता. एक आइडिया हो जाता कि महन्तजी क्लेम करते आये हैं तो शायद उनके धन को अलग समझ सकते हैं पर ऐसे अलग कहीं यूजेज. ट्रेडिशन्स नहीं हैं। महन्त ही यूजेज ट्रेडिशन्स बनाते है तो हमें यह मान कर चलाना पड़ेगा कि उनने अपने माफिक यूजेज़ ट्रेडिशन्स बनाये हैं। तो सरकार की मंशा है कि इस बिल के जरिये महन्तजी को नुकसान ही नहीं फायदा पहुँचा दें पर फायदा पहुंचाने का मतलब यह नहीं है कि महन्तजी इस चीज़ को अपने फायदे के काम में लें।

यदि व्यवस्था ठीक नहीं हुई तो महन्तजी आप पर यह क्लेम लगायेंगे कि सरकार के इन्तजाम में लेने से ठीक व्यवस्था नहीं हुई है और इसके कारण लोगों ने भेंट देना बन्द कर दिया है और यह वह कहेंगे जिनको आप इस बिल से फायदा पहुँचाना चाहते हैं, सुरक्षा देना चाहते हैं। ये जो ट्रेडिशन्स रखना चाहते हैं तो ऐसा होना चाहिये कि मन्दिर की व्यवस्था पर प्रभाव नहीं पड़े। कोई व्यक्ति भेंट देना चाहता है तो ऐसा लूपहोल न रखें कि उस धन को दूसरा क्लेम कर सके। यदि यह लूपहोल रखते हैं तो महन्तजी कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर अपने राइट्स क्लेम करेंगे तो सैकड़ों महन्तजी के फेवर में एविडेन्स देंगे, वे कभी महन्तजी के खिलाफ एविडेन्स नहीं देंगे।

आज तक जितनी प्रोपर्टी मिली है उसमें आज तक यह दिक्कत आ रही है कि कौनसी प्रोपर्टी महन्तजी की है और कौनसी मूर्ति के काम में आ रही है। जो प्रोपर्टी यूटेन्सिल्स आदि हैं उन तक में यह दिक्कत आ रही है। महन्तजी की पर्सनल पोपर्टी क्या है और मूर्ति की प्रोपर्टी क्या है, इस प्रोब्लम को सुलझाने में बहुत दिक्कत आवेगी। मगर इस क्लॉज के जरिये महन्तजी को पॉवर्स देते हैं कि वे व्यवस्था को ठीक करें। मैं यह कहूंगा कि व्यवस्था तो पहले से ही खराब हो रही है और उसको खराब करने के लिये महन्तजी जिम्मेदार हैं। फिर आप महन्तजी से कहते हैं कि आप व्यवस्था को ठीक करें इसके लिये अंग्रेजी में शब्द है mephistopiratinpart। यदि इसी तरह से महन्तजी टेम्पल में प्ले करते रहे तो जिस पर्पज से यह बिल बनाया जा रहा है वह पर्पज डिफीट हो जावेगा। इसलिये इस पर हमको दुबारा सोचना चाहिये। यह धारा न तो कोई मैनेजमेंट को सुधारती है और न कोई दूसरा काम ही करती है। यह तो वह धारा है कि किसी तरह से महन्तजी को दुबारा हम यों के यों पॉवर्स रेस्टोर कर दें। यह हमारे बिल की जो मूलभूत धारा है और उसके ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स हैं उससे कॉन्ट्रडिक्ट करती है। इसके अलावा यह कई लूप होल्स क्रीएट करती है। इसलिये ऐसी धारा को डिलीट कर देनी चाहिये।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि यह जो क्लॉज २२ है बिल्कुल ही बिल से हटा दिया जाना चाहिये और इसको हटाने के पक्ष में मैं अपने विचार रखता हूं। इसमें हरिजन नहीं आवेंगे। आज भारतवर्ष के बड़े बड़े नेता एक तरफ तो यह कानून बनाते हैं कि

Page No.16

(श्री मदनसिंह)

हरिजनों का उत्थान हो मगर इस क्लॉज में यह साफ लिखा है कि प्रचलित प्रथा पर अथवा ऐसे अधिकारों, आदर, परिलाभों तथा परिलब्धियों पर जिनका कोई व्यक्ति मंदिर में रूढ़ि द्वारा या अन्यथा अधिकारी हो, प्रभाव नहीं डालेगा। प्रचलित प्रथा के अनुसार हरिजनों को अन्दर नहीं घुसने देते हैं।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : Law is above usage.

श्री मदनसिंह : मगर इससे यह होगा कि उसमें हरिजन नहीं आ सकेगा। सबसे पहले तो यह होगा कि हरिजनों को कोई जाने नहीं देगा। अगर इसे हटा दिया जाता है तो ठीक है, नहीं तो हरिजनों के लिये सारे जो कानून बने हैं उनको चैलेन्ज हो सकता है और पुरानी प्रथा ज्यों की त्यों रहेगी इससे हरिजनों को कोई फायदा नहीं होगा।

इसके अलावा यह कहा गया कि चढ़ावा नहीं आवेगा। मैं यह कहूँगा कि चढ़ावा तो हमेशा महन्त का ही होता है। मूर्ति का चढ़ावा नहीं होता। हम देखते हैं कि जहां पर खेजड़े के पास बालाजी और भैरोंजी होते हैं वहां पर उनकी कोई पूजा करने वाला नहीं होता है, वहां पर सिर्फ रोटी ही चढ़त है कोई रुपया-पैसा नहीं चढ़ता है क्योंकि वहां पर कोई पुजारी नहीं होता है। मूर्ति पर कभी चढ़ावा नहीं होगा। इससे हरिजनों को बहुत बड़ी ओट हो जावेगी। मैं समझता हूँ कि अगर इस क्लॉज को हटा लिया जाता है तो उचित होगा।

श्री किशनलाल शर्मा (नाथद्वारा) : जो संशोधन धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है उसके संबन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो कारण उन्होंने बताये, मैं समझता हूं कि उनको इस संबन्ध में पूरी जानकारी नहीं है। इसी तरह से भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो मूर्ति और महन्तजी के बारे में प्रश्न उठाया है वह भी ऐसा है जिसके संबन्ध में माननीय राजस्व मंत्री ने पहले ही साफ कर दिया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो चढ़ावा मूर्ति को आता है वह अलग रहता है और जो चढ़ावा महन्तजी को आता है वह अलग रहता है। महन्तजी को आता है उसका मूर्ति के चढ़ावे से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जो दास प्रथा के बारे में धौलपुर से आने-वाले माननीय सदस्य ने बताया वह बिल्कुल गलत है। मैं यह कहूँगा कि वहां धर्म के अनुयायी शुद्ध धर्म की भावना से सेवा करते हैं। मैं आपके ज़रिये बताना चाहता हूं और बताने की कोशिश करूंगा कि अगर माननीय सदस्य वहां जावेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से वहां पर सेवा की जाती है तो मेरे ख्याल से उनकी यह शंका दूर हो जावेगी और कोई शंका नहीं रहेगी कि आया यह दास प्रथा है या नहीं। एक आदमी रात को १२ बजे उठता है और वहां पर पानी भरता रहता है और मंदिर में सारा काम करता है और ५ बजे तक वह पानी भरता रहता है। यह वह चाहे सर्दी का मौसम हो चाहे गर्मी का हो, चाहे चौमासा हो, करता रहता है। इस लिये मैं समझता हूं कि इस क्लॉज़ को हटाना वैष्णव धर्म पर कुठारा-घात है इसलिये जो क्लॉज़ है उसे ज्यों की त्यों पास की जावे और जो हम व्यवस्था

(श्री किशनलाल शर्मा)

करना चाहते हैं. अगर यह क्लॉज़ हटा दिया जावेगा तो नहीं कर पाएंगे। एक बात माननीय सदस्य ने और रखी है वह हरिजन प्रवेश की है। अध्यक्ष महोदय, यह मेरी समझ में नहीं आता कि इस धारा से उस पर क्या असर होता है ? यह तो मर्यादाएं चली आ रही हैं उन पर कुठाराघात करना होगा। इसके सिवाय मैं और कुछ अर्ज नहीं करना चाहता और यही निवेदन करना चाहता हूं कि जो धारा है वह ज्यों की त्यों पास की जावे।

श्री दामोदरलाल व्यास (मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय,........

श्री पी. के. चौधरी (फ़ुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस पर कुछ कहना चाहता हूं। मैं इसी क्लॉज के फेवर में बोलना चाहता था. मगर यहां माननीय सदस्यों के भाषण सुनने के बाद मुझे एक ख्याल जरूर आता है कि इसके लिये एस्टेब्लिश्ड यूजेज़ हैं उनको रोकना चाहिये। आप यूजेज़ की बात डिटेल में डिफाइन कर दें कि किस व्यक्ति को rights, honours, emoluments and prequisites etc.: ये सारी चीज़ें करनी चाहिये। जहां तक इसका सम्बंध है we are bound to see them. They must not be free to do their religious practice. इसको करने के लिये फ्री हैं। उसको डिलीट कर दें और इस क्लॉज़ को ऐसा ही रखा जावे, Save as expressly provided in the Act. जिन माननीय सदस्य ने इसको मूव किया है उनका ख्याल यह था कि एक्ट को बाईपास किया जाता है; save as otherwise expressly provided in the Act. यानि इसका इकोनॉमिक मैनेजमेंट वैसा ही रहेगा। इसमें सेविंग क्लॉज़ नहीं रखते हैं, लेकिन जहां नहीं है वहां यूजेज़ को मान कर चलेंगे। यह इसकी मंशा है rights, honours, emoluments and prequisites etc. अधिकतर यह कहते हैं कि ६ हज़ार आदमी हैं। मैं यह कहूँगा कि वे लोग वहां क्या करते हैं ? वे सिर्फ अखाड़ेबाजी करते हैं। वे लोग जो ६ हजार हैं और अखाड़े बाज़ी करते हैं, भंग पीते हैं ऐसे लोगों को आज की सोसाइटी में पनपने देना चाहिये नहीं। जब अखाड़ेबाज़ी करते हैं और भांग पीते हैं और कसरत करते हैं, उनको perpetual rights and emoluments etc...

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग न करें।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : अभी तो वे पर वहीं भांग पीकर डटे हुए हैं फिर यहां भांग पिलाने आवेंगे।

श्री पी. के. चौधरी : यह जो ६ हज़ार व्यक्ति हैं तो इनमें हर एक के कम से कम चार बच्चे तो होंगे ही। इस तरह से दो, चार साल में ६ हज़ार के २४ हज़ार होने वाले हैं। इस तरह से २४ हज़ार से ५० हज़ार हो जावेंगे। ये आंकड़े बढ़ते ही जावेंगे।

श्री मदनसिंह : इनको अलग रखिये, बच्चे पैदा न करें।

श्री पी. के. चौधरी : सारा का सारा टेम्पल का पैसा इन्हीं के खर्चे में चला जावेगा। सेविंग क्लॉज़ में इनकी प्रेक्टिस चल तो रही है। सेविंग क्लॉज़ में shall not effect any usage of the temple

Page No.18

(श्री पी० के चौधरी)

तक रखे जावें बाकी जिनको रखा है उनको हटा दें। इसको रखने से ६ हज़ार के मेन्टी-नेन्स का भार ही हम पर रहेगा और आगे उनके बच्चे होंगे उनसे हम बरी हो जाते हैं। यह मेरा वर्बल एमेन्डमेंट है इसको चाहे तो सरकार मान ले, "rights, honours emoluments and prequisites"; इसके बाद यह जो सारा का सारा पेज है उसको डिलीट कर दिया जावे।

श्री गोवर्धनसिंह केन (बयाना-सु) : अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ५ में माननीय सदस्य जो धौलपुर से आये हैं उनका संशोधन है और उसके समर्थन में निवेदन करता हूं।

श्री दामोदरलाल व्यास (मंत्री): There is no amendment.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : निगेटिव क्लॉज़ है।

श्री अध्यक्ष : एक ही बात है।

श्री गोवर्धनसिंह केन : माननीय सदस्य ने बताया कि भारतीय संस्कृति की मर्यादा अब तक इस प्रकार रही है कि कोई हरिजन किसी मन्दिर में प्रवेश नहीं हो सकता। लेकिन जब से भारत स्वतन्त्र हुआ है और जब से इस सम्बन्ध में कानून बना है हरिजनो-त्थान के लिए तब से हर एक मन्दिर में हरिजन प्रवेश कर सकता है। अगर यही स्थिति रही जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया तो भारतीय संस्कृति की मर्यादाओं के अनुसार हरिजनों को नाथद्वारा के मन्दिर में प्रवेश नहीं करने दिया जावेगा। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि क्लॉज २२ है इसको बिल्कुल विलोपित कर दिया जाय, जिससे कि हरिजनों को प्रवेश का अधिकार मिल जाये।

दूसरी चीज़ यह है कि जो बोर्ड गठित किया जा रहा है उसमें भी एक हरिजन को अवश्य रखा जाय जिससे समान अधिकार संविधान के अन्तर्गत दिये गये हैं वे हरिजनों को प्राप्त हो सकें, यही मेरा निवेदन है।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : अध्यक्ष महोदय, ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस प्रकार हल कर देना और 'हां' और 'ना' से पास कर देना, बिना सोच-विचार किये कर देना अनुचित होगा। क्योंकि इस प्रकार से इस महत्व की चीज़ को यहां तो पास कर दिया जाय लेकिन आगे जाकर इसमें कई प्रकार की बाधायें आवेंगी जिससे कि उसका असर इस सदन के ऊपर भी पड़ता है, सदन पर भी उसकी छाप पड़ती है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि ऐसे मामलों को बहुत सोच-विचार कर ही रखा जाय। जितने भी ये हरिजनों के प्रवेश के प्रश्न हैं और दूसरे प्रश्न हैं ये आगे जाकर एक बड़ी भारी दिक्कत पैदा कर देंगे। उनके उत्थान के वास्ते एक यह भी दिक्कत आवेगी जैसा कि मैंने कल भी निवेदन किया था कि एक हरिजन पार्टी के मन्दिर में दूसरे हरिजन को भी नहीं घुसने दिया जाता। तो ये सारी चीजें एक दिक्कत पैदा करने वाली हैं इसलिये इन पर विचार करके पास करना चाहिये। केवल मताधिकार पर इस प्रकार से बिल पास कर देना उचित नहीं होगा। आयन्दा कई प्रकार की उलझनें पैदा हो जावेंगी जिससे गवर्नमेन्ट के लिए भी एक बड़ा भारी प्रश्न सामने आजावेगा। एक महानुभाव प्रश्न उठावें और दूसरे उसको वापिस ले लें, इन कलाओं से इस प्रकार के महत्वपूर्ण बातों को पास करना एक नितान्त गम्भीर प्रश्न है। इस पर भी पूरी तरह से विचार करना चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व-मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ २२ का प्रोविज़न न तो किसी दास प्रथा को कायम रखने के लिए है और न ही किसी विशेष व्यक्ति को नाजायज फायदा देने के लिए है, या मौका देने के लिए है कि टेम्पल की प्रोपर्टी में से मिस एप्रोप्रियेट कर सके। धारा २२ को एन्डोनमेन्ट २ की परिभाषा के साथ पढ़ना चाहिये। इसके साथ ही वेस्टिंग की धारा को भी पढ़ेंगे तो आपको विदित होगा कि टेम्पल की प्रोपर्टी होगी वेस्ट हो जावेगी मैनेजमेन्ट के अन्दर, इसमें डर और सुबे की कोई बात नहीं है या यह सोचना कि इसमें गोस्वामीजी महाराज, या पुष्टिमार्ग के सोशियलिस्टिक पेटर्न के लोग हैं ब्रजवासी वे गड़बड़ करेंगे, यह सवाल ही पैदा नहीं होता है। एन्डाउमेन्टवाला वेल डिफाइन्ड प्रोविज़न है, वेस्टिंग के प्रोविज़न में सारा कवर हो जावेगा।

मन्दिर के जो एस्टेब्लिश्ड कस्टम्स हैं, जो इमोल्यूमेन्ट्स सेवा पूजा के उनको मिलते हैं, उनके फन्डामेन्टल राइट्स हैं और उनको बन्द नहीं किया गया है। फन्डामेन्टल राइट्स के बारे में फुलेरा से आये माननीय सदस्य ने दो तीन बातें बतायी। मैं निवेदन करूंगा कि मन्दिर से सेवा पूजा के सम्बन्ध में कई आसमियों को, कुछ न कुछ जो पार्ट टाइम वर्क करते हैं, कुछ न कुछ उसके लिए मिलता है। कुछ सेरीमनीज़ ऐसी होती हैं मन्दिर के अन्दर कि जिसमें कुछ लोगों को शरीक होने का अधिकार है और एक एस्टेब्लिश्ड प्रेक्टिस बन गई है...

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : On a point of information, Sir. यूजेज़ में आ जाती है।

श्री दामोदरलाल व्यास : यूजेज़ और इमोल्युमेन्ट्स में बहुत फर्क है। इसलिए इसको रखना जरूरी है कि २२ के फन्डामेन्टल राइट्स को चैलेन्ज करके इन्वेलिड करार न दे दिया जाय। जो राइट्स हैं उनको टच करने की जरूरत नहीं है। बयाना से आये माननीय सदस्य ने कहा कि कानून की आवश्यकता क्या है ? सारी प्रोपर्टी को एडमिनिस्टर करने के लिए बना रहे हैं, जिससे प्रोपर्टी का मिसयूज़ न हो। जो कुछ मिलता है वह कायदे से मिले, अकाउन्टस का ऑडिट हो। इसीलिए इन सारी बातों के लिए कानून बना रहे हैं।

श्री पी० के० चौधरी : On a point of information Sir, उस मन्दिर में जो पंडे, या अखाड़े बाज़ हैं, जो कुछ भी उनका नाम हो, उनको मेन्टीनेंस मिलता है, एक हाइपोथेटिकल बात है। उनके लड़के हुए, whether under this Act he can go to the court and get a degree against you ? आपने तय किया कि छः हजार आदमियों को देना ठीक है। बाद में उनके लड़के हुए और उनकी संख्या बढ़ा कर १२ हज़ार हो गई तो वे कहेंगे कि हमको भी मेन्टीनेन्स मिलना चाहिये। आज तो कुछ लोगों को निकाल सकते हैं। इसको प्रोवाइड करने से यह एक स्टेचुटरी चीज़ हो जाती है, जो आपका बजट प्रोवाइड नहीं कर सकता, अलाउ नहीं कर सकता कि उन अखाड़ेबाजों को मेन्टेन करना चाहिये। यदि इसमें इस प्रकार का प्रोविज़न रखते हैं तो इसके द्वारा उनको अधिकार मिल जाता है और कोर्ट में जाने का भी उनको अधिकार मिल जाता है....whether this provision is going to give them a right of

Page No.20

(श्री पी० के० चोवरो)

decree against you. उनके बच्चे होंगे, ग्रान्ड चिल्ड्रन होंगे, इस क्लॉज़ से उन सब को अधिकार मिल जायगा कि वे मेन्टीनेन्स प्राप्त करें। इसलिए मेरा सुझाव है कि पर्सन्स रखे हैं वे मत रखिये, एस्टेब्लिश्ड यूजेज़ में सारी चीजें कवर हो जाती हैं, मेन्टीनेन्स, सेरीमनीज़ में इमोल्युमेंट्स देना आदि आ जाता है इस तरह You are giving them a statutory right to go to a court and get a decree against you in future.

आशा है कि आप मेरे वर्बल अमेन्डमेंट को स्वीकार करेंगे।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : अध्यक्ष महोदय, इसमें यह सवाल आता है कि खासतौर से इस्लाम धर्म के अनुयायियों और गुरुद्वारों के और ईसाइयों के चर्च के मामले में भी यह बातें आ सकती हैं। इसलिये इस मामले पर बहुत विचार करना चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : इसके लिये भी कानून आ रहा है।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : डेफीनेटली डिफाइन क्यों नहीं कर दिया जाता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : एक माननीय सदस्य ने हाइपोथेटिकल क्वेश्चन रखा। उसके लिये मेरा निवेदन है कि इसकी आवश्यकता नहीं क्योंकि न तो इसमें कोई अखाड़े हैं और न अखाड़ची ही।

श्री मदनसिंह : माननीय सदस्य, जो नाथद्वारा से आये हैं, आपके पीछे बैठे हैं, उनसे पूछ लीजिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्य से निवेदन कर देना चाहता हूँ कि जो कानून हम पास करने जा रहे हैं उसकी यह मन्शा नहीं है कि कोई अखाड़ची, भंगेड़ी या दंड करने वाले हैं उनके लिये भी देना होगा। उनके लिये यह प्रोविजन नहीं है। यह तो इसलिये रखा गया है श्रीनाथजी के यहां वैष्णव सम्प्रदाय की बहुत सी सेरीमनीज़ होती हैं उसमें अलग अलग आदमियों को अलग अलग राइट्स हैं।

श्री मदनसिंह : But why can't you define in this ?

श्री दामोदरलाल व्यास : You please bring an amendment at the proper time and proper place.

श्री मदनसिंह : I thought you will be kind enough to consider my suggestion, even without amendment.

श्री दामोदरलाल व्यास : If you give a constructive suggestion, definitely I will consider.

श्री मदनसिंह : You can easily define it here.

श्री दामोदरलाल व्यास : Thank you for your views.

मैं अर्ज यह कर रहा हूं कि पुष्टिमार्गीय सम्प्रदाय के सम्बन्ध में जो भी सेरीमनीज़ होती हैं उनके लिये यह है न कि

(श्री दामोदरलाल व्यास)

छः हज़ार आदमियों के लिये जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों द्वारा कहा गया। मुझे तो पता नहीं वहां छः हजार आदमी हैं। इसका सम्बन्ध उन लोगों से है जो सेवा पूजा करते हैं और इसके अलावा गोस्वामीजी को क्या अलाउन्स इत्यादि मिलेगा that will also be governed by the rules.

ज़मीन या प्रोपर्टी जो भी है उसको भी डिफाइन किया गया है बोर्ड में उसका वेस्टिंग भी हो जायगा। इस बारे में मैंने जब फर्स्ट स्टेज पर विचार हो रहा था उस समय बहुत विस्तार से निवेदन किया था। जो भी भेंट पूजा यहां होती है उसका बाकायदा हिसाब किताब रहता है, महाराज का कौनसा है और डिटी के काम के लिये कौनसा है। इसमें ऐसी गुंजाइश नहीं है कि महाराज उसको इधर उधर कर सकें। डिटी की भेंट को वे पर्सनल यूज़ में नहीं ले सकते। जो प्रोविजन वहां सेविंग क्लॉज का रखा है उसका मतलब यह है कि वहां की जो सेवा पूजा है, वहां यूजेज़ है, कस्टम्स है उसमें किसी प्रकार का दखल नहीं होगा because it is not our intention to interfere in that at all.

दूसरी बात सेरीमनीज़ से सम्बन्धित है। सेरीमनीज़ के सम्बन्ध में जो भी इमोल्यूमेंट्स मिलेंगे उसमें इन्टरफीअरेन्स करने का राइट नहीं है। प्रोपर्टी के मैनेजमेंट और प्रोपर मैनेजमेंट के लिये यह रखा गया है उसका मिसयूज़ न होने पाये यही मन्शा इसकी है। मैं समझता हूं। इस पर बोलते हुए एक माननीय सदस्य ने हरिजनों के प्रवेश के बारे में भी कहा मेरा उनसे निवेदन है कि प्रत्येक कस्टम और यूजेज़ सभी कानून के होते हैं। भारत सरकार ने भी कानून बना रखा है वह किसी मन्दिर पर लागू हो या नहीं धार्मिक स्थानों में एन्टरेन्स का सवाल है वह इस कानून से रद्द नहीं होता। हरेक के अलग अलग यूसेजेज़ होते हैं। दांता रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने शायद इस कानून को ज्यादा ठीक समझा होगा। उनका इन्टरप्रिटेशन गलत है। जो भी कस्टम और यूसेजेज़ होते हैं वह हर कानून में एड होता है।

श्री मदनसिंह : मैं तो कोई हरिजन नहीं हूँ। मैंने तो हरिजनों के फायदे के लिये बात कही है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपकी नियत में किसी को शंका नहीं है। लेकिन समझते सब हैं कि आप क्या चाहते हैं?

श्री मदनसिंह : मैं तो यह चाहता हूं कि हरिजनों को प्रवेश मिल जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २२ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज २२ विधेयक का अंग बना

(विराम)

क्लॉज २३ से २७

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लाजेज़ २३, २४, २५, २६ और २७ स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ २३, २४, २५, २६ एवं २७ विधेयक के अंग बने।

(विराम)

(श्री अध्यक्ष)

क्लॉज २८

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज २८ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज २८ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ २६

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज २६ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज २६ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज ३०

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ३० में मेरा अमेन्डमेंट यह है कि इसमें एक सब क्लॉज़ और लगा दिया जाय :

"(3) The rules made under this Act shall be placed before the State legislature at the session next following."

अध्यक्ष महोदय, हम आगे जाकर जो लोक सभा में प्रोसीज़र एडॉप्ट किया जाता है वह यहां भी एडॉप्ट करने वाले हैं। उसके अनुसार सारे के सारे सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन्स हाउस के सामने रखने पड़ेंगे। अभी तक हालां कि यह प्रोसीज़र एडॉप्ट नहीं हुआ फिर भी हम यह प्रोवीज़न रख देते हैं जिसके अनुसार रूल्स बने वे सारे के सारे रूल्स हाउस के सामने आयें। इस सदन में कई तरह की राय पेश होती है, इसके बारे में भी दो अपोजिट व्यूज़ रखे गये हैं। एक तो यह कि जिस प्रकार के कस्टम्स यूसेजेज़ आदि चल रहे हैं वे वैसे ही चालू रहें। दूसरा एक तरह का यह व्यूज़ है इस पर ज्यादा स्ट्रिक्ट कन्ट्रोल रहे। इस तरह से ऑपोज़िट व्यूज़ आये। आपकी एग्ज़ीक्युटिव इस एक्ट के अन्तर्गत रूल्स बनायेगी यह भी काफी डिसक्रीशन रह जाता है। It may be in favour of one set of usages or in favour of other set of usages.

मैं यह ज्यादा उचित मानता हूँ कि रूल्स जो बने वे लेजिस्लेचर के सामने आयें। इतना ही मेरा निवेदन है।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर): मैं अपना संशोधन पेश करना नहीं चाहता।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, जो अमेन्डमेंट फुलेरा से आये हुए माननीय सदस्य ने पेश किया है उसे मंजूर करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मगर स्थिति यह है कि जैसा कि उन्होंने खुद ने बताया हम भी अपने यहां उसी प्रकार के रूल्स बना रहे हैं, जैसे कि लोकसभा में हैं। जब वे बन जायेंगे तो उनके अनुसार रूल्स आदि का रखना लाजमी होगा। इसके अन्दर यह प्रोवीजन कर दिया जाये कि नेक्स्ट सेशन के अन्दर रूल्स पेश कर दिये जाय तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप इसको स्वीकार करते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज ३० में श्री पी० के० चौधरी ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३० संशोधनानुसार स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज ३० संशोधनानुसार विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ ३१ से ३८

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लाजेज़ ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, ३६, ३७, ३८ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लाजेज़ ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, ३६, ३७ एवं ३८ विधेयक के अंग बने।

(विराम)

क्लॉज़ १ प्रिएम्बल इत्यादि।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १ प्रिएम्बल इत्यादि स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १ प्रिएम्बल इत्यादि विधेयक के अंग बने।

श्री दामोदरलाल व्यास (मंत्री देवस्थान-विभाग) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि नाथद्वारा मन्दिर विधेयक, १९५६ को संशोधित रूप से पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाय।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय........

श्री दामोदरलाल व्यास : Now the question has been put, Sir, the Hon. Member is late.

श्री मदनसिंह : It is not late, This is third reading of the Bill.

श्री दामोदरलाल व्यास : The Hon. member ought to have been alert.

श्री अध्यक्ष : Let us give him one more chance to put up his views.

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : नाथद्वारा टेम्पल के सम्बन्ध में जो सदन के समक्ष बिल रखा गया है। इसका मैं विरोध करता हूं और कुछ ऐसे पॉइन्ट रह गये थे, अध्यक्ष महोदय, कि जो सदन के समक्ष नहीं आये।

इस सारे बिल को या इस कानून को बनाने की मंशा सरकार की यह है कि नाथद्वारा मन्दिर के अन्दर प्रबन्ध अच्छा हो और जितना भी चढ़ावा आता है वह राष्ट्र की सम्पत्ति है वह अच्छे उपयोग में नहीं आती इसलिये अच्छे उपयोग में आवे, इस मंशा से यह कानून बनाया गया है और इस पर बड़े बड़े नेताओं के बड़े बड़े भाषण हुए।

मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि कम से कम या तो उन लोगों की तरफ से मांग होनी चाहिये थी कि हमारी जितनी भी सम्पत्ति मन्दिर में रुपये या रकम चढ़ाई जाती है

(श्री मदनसिंह)

उसका हमारी मंशा के माफिक उपयोग नहीं हो रहा है इसलिये इस चैरिटी का अमुक कार्य में इसका उपयोग होना चाहिये । मैं दावे से कह सकता हूं कि आज तक उनकी तरफ से डिमान्ड नहीं आई । केवल यहां सदन के बीच में एक पक्ष बनाने के लिये कह देना कि जितने भी देवस्थान में द्रव्य चढ़ाते हैं तो चढ़ानेवालों की मंशा इस कानून के मुताबिक ही है । तो अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं इन चढ़ावा चढ़ानेवालों की मंशा इस सरकार को कैसे मालूम हुई ? वे चढ़ाते ही इसलिये हैं कि वह रकम मन्दिर में रहे और मन्दिरवाले जो भी महन्त या पुजारी हैं वे अपनी मर्जी आवे वैसे, इसको धर्म के काम में लगावें । आज धर्म सड़क बनाने में होता है, नये नये सन्तों की पदयात्रा में खर्च करने में भी धर्म होता है, यह आज सरकार मानती है तो इसलिये यह सरकार अगर इसको इस तरह से व्यय करेगी तो यह सबसे बड़ा वहां की मर्यादा का भंग होगा ।

जबर्दस्ती जनता के नाम पर गलत चीज़ करने की बात हो रही है । मन्दिर में रकम चढ़ाने वालों की मंशा और होती है । एक तो यह होती हैधर्मशालाएं बनाना, गरीबों को खाना खिलाना । अगर कोई भी पूंजीपति पैसा चढ़ाता है तो, अध्यक्ष महोदय, उसको स्वतन्त्रता थी, रकम क्यों वहां चढ़ाता, वह आज भी अलग से ये सब चीजें बना सकता है, जो भी राष्ट्र की योजना है उसमें रुपया लगा सकता है । तो यह कहना गलत है कि वे राष्ट्र के इन ऊंचे कामों में पैसा खर्च करने के लिये वहां चढ़ाते हैं । उनकी मंशा तो यह रहती है कि यह पैसा मन्दिर के कामों में खर्च हो, धर्मशालाएं खुलें, साधु हैं, अपंग हैं, गरीब हैं, मंगता हैं, उनको उनके महाराज के स्पर्श हुआ हुआ खाना मिलता है तो उनको वह बंटना चाहिये । इसलिये मैं तो यह समझता हूं कि यह सरकार की तरफ से कहना कि जो चढ़ानेवाले लोग हैं वे यह चाहते हैं कि स्कूलें बनें या उन के धन का प्रबन्ध अच्छी तरह से हो, यह मंशा नहीं है । अगर उनके दिमाग में राष्ट्रीय योजनाओं में पैसा लगाने की बात होती तो वैसे भी लगा सकते थे ।

आज सरकार मन्दिरों के साथ सही ढंग से विचार नहीं करती । अन्यथा बड़े बड़े मन्दिर और भी खुले हैं जिनमें बड़े बड़े पंडे हैं । आज महात्माजी का और कस्तूरबा का फण्ड है उनके लिये आप अपने हाथों में अधिकार नहीं रखते । दूसरे ही इसके मेम्बर हैं, दूसरे ही महन्त और सन्त हैं और उनको एक पार्टी के नीचे ला रखा है । गांधी फण्ड के लिये फलां फलां चीज़ हो सकती है, कस्तूरबा फण्ड के लिये हो सकती है । आज उनका प्रबन्ध सत्तारुढ़ दल के हाथों में है, करोड़ों रुपया चन्दे का इसमें आता है । आज क्यों नहीं फिर इसी तरह से उसका प्रबन्ध सरकार द्वारा होता है ? इसलिये मैं समझता हूँ कि गवर्नमेन्ट के अधिकार की चीज़ यह नहीं कि इस तरह स्वतन्त्र मन्दिरों पर अधिकार करे ।

किसी साथी ने यह भी कहा कि वे तो महन्त ही खराब हैं और महन्त खराब होने से हमें प्रबन्ध लेना चाहिये । मैं मानता हूँ एक खराब हो सकता है, दूसरा रखिये, सभी खराब हों तो यह बात नहीं हो सकती ।

कुछ सन्तों ने असेम्बली में यह भी फरमाया...

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : असेम्बली में कौन सन्त हैं ?

श्री मदनसिंह : आपको भी सन्त मानता हूँ।

श्री जनार्दनराय नागर : हम तो आपको ही सन्तेश्वर समझते हैं ।

हंसी)

श्री मदनसिंह : आपको ऐसी बात बुरी लगती है तो आप नहीं हैं सन्त ।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व) : जो असज्जन नहीं हैं वे सब सन्त हैं, तुलसीदासजी के अनुसार ।

श्री मदनसिंह : कइयों ने यह कहा कि हम तो नाथद्वारा के महन्त को त्यागी बनाते हैं तो फिर उनको जेल में रख दिया जावे । बिल्कुल द्रव्य से दूर हो जावेंगे । दुनिया की चीजें याद ही नहीं आवेगी । आपको तो उनको एक लंगोटी दे देनी चाहिये । तो ऐसे अधूरे कानून बना बना कर मन्दिर की सारी मर्यादा को नष्ट करके सरकार अपने हाथों में लेना चाहती है । जबकि हिन्दू ट्रस्ट बिल में सब का समावेश होता है तो सरकार के हाथ में बागडोर देंगे तो क्या कारण है कि नाथद्वारा को ही अपने हाथ में ले रहे हैं ? आज कम से कम चीफ मिनिस्टर साहब को तो विरोध करना चाहिये था । उन पर यह आरोप है । ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि अगर इसको आप लेलेते हैं तो एन्क्वायरी कहां से होगी ? उनके लिये बाधक-सी होगी । इसलिये इस वक्त ऐसी चीज को लाना उचित नहीं था और दूसरी बात मैं समझता हूँ कि कल परसों लोग बहस कर रहे थे वहां 'ब्रह्म' सम्बन्धी लोग होने चाहिये । प्रेसीडेन्ट कौन सम्बन्धी होगा ? हम तो पहले कई बार बात भी कर चुके थे कि क्या हाल होगा । आज मंदिर में भगवान राम की मूर्त्ति होगी, वहां अब्दुल्ला करीम का प्रबन्ध होगा । जहां मस्जिद होगी वहां कोई शर्मा प्रबन्धक होगा । आज भारत की संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने के लिये पहला दांव नाथद्वारा पर आजमाया है । अगर यह ठीक बन गया तो सारे मन्दिरों के साथ यही किया जावेगा । उनकी मर्यादाओं को नष्ट किया जावेगा । अगर सरकार की ऐसी मंशा है तो उदयपुर का हमेशा ऊंचा स्थान रहा है, राजाओं में भी वहां के राणा ऊंचे रहे, राजप्रमुख में भी महाराज प्रमुख वहां के रहे तो इस काम में भी वे सबसे ऊंचे रहेंगे ।

पर कम से कम मैं यह जरूर कहूंगा कि सेक्यूलर स्टेट में मन्दिरों का प्रबन्ध इस तरह से हाथ में लेना गलत चीज़ है ।

दूसरी बात यह समझता हूँ कि अब तक धर्म और राजनीति अलग अलग थी पर ऐसा कानून बनाकर तो सरकार यह साबित करती है कि धर्म और राजनीति एक हैं और........

श्री जनार्दनराय नागर : पर उनका क्या है जो धर्म पर ही राजनीति चलाते हैं ?

श्री मदनसिंह : अब तो धर्म पर ही राजनीति चलेगी । अब तो ये सब मन्दिर के कर्मचारी और प्रबन्धक चुनावों में उनके लिये काम करेंगे । पैसे का, इसका दुरुपयोग होगा । इतना होते हुए भी दावा करते हैं ये कि हम वहां का भ्रष्टाचार मिटावेंगे । जो गवर्नमेन्ट खुद भ्रष्ट है, जहां के हर व्यक्ति करप्शन में आकर बैठे हैं उस सरकार से यह

(श्री मदनसिं

समझ सकते हैं कि वह कोई बड़ी चीज़ कर सकती है और वह भी भ्रष्टाचार को मिटा सकने की चीज़ हो सकती है ? उस लोगों में ८० पर्सेन्ट पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये हुए हैं। फिर वे दावा करते हैं कि नाथद्वारा में भ्रष्टाचार दूर कर सकेंगे।

मैं यह समझता हूँ कि बड़े बड़े कई और लोग धर्मज्ञ हैं उनके हाथ में यदि यह बोर्ड दिया जाता तो वे भ्रष्टाचार मिटा सकते थे। यह मैं मान सकता हूँ, भारत में आज भी अच्छे अच्छे ऋषि, मुनि हैं, तपस्वी लोग हैं उनके हाथों में व्यवस्था होती या दी जाती तो भी समझा जा सकता था कि व्यवस्था में से व्याप्त भ्रष्टाचार मिटेगा। पर इस सरकार के आदमियों से क्या आशा की जा सकती है, जिन में से ८० फी सदी पर भ्रष्टाचारी होने के आरोप लगाये हुए हैं ?

एक तरफ कहते हैं मन्दिर की सारी मर्यादाएं सुरक्षित रखी जावेंगी, दूसरी ओर वही सरकार कहती है वह महन्तजी ऐसे हैं, उनका आचरण अच्छा नहीं है। पर फिर भी वे चाहें तो उस बोर्ड के सदस्य हो सकते हैं। जब उनको आप भ्रष्ट आचरण का समझते हैं तो उनके लिये सदस्य बनने की गुंजाइश रखने का क्या मतलब है उनको जितनी आजादी है, दी जावेगी यह कहने का क्या मतलब ? तो मैं तो यह समझा हूं कि यह सब कहने की बातें हैं, आप की तो पैसे पर दृष्टि है। सरकार के ये लोग तो यह चाहते हैं कि पैसा हो वहां पर हमारा जमाबड़ा होना चाहिये, वहां हमारी चीज बननी चाहिये। मीरां मन्दिर में भी आप एक को अन्तरंग महन्त बनाए हुए हैं। इसी तरह से ये पांच दस महन्त और बनावेंगे आप। उनका अखाड़ा बनाना चाहते हैं और, उन लोगों की वहां भंग उड़ेगी। भांग पीकर उस पैसे को उड़ाते हैं जो कि बेचारे गरीब और अपंगों के काम आ सकता था। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह समझता हूं कि यह सरकार बिल्कुल कुचेष्टा कर रही है कि हमारे जितने धार्मिक अधिकार हैं और जो संविधान ने दिये हैं उनको यह चैलेंज़ है। इसलिए कभी तो कोऑपरेटिव के नाम से ज़मीनों को हड़पना चाहते हैं, कई मन्दिरों को खाना चाहते हैं। आज सरकार जो खुद अपना प्रबंध नहीं कर सकती, जो अपने आप में भ्रष्टाचार नहीं मिटा सकती है वह आज मन्दिरों का भ्रष्टाचार खत्म करने खड़ी हुई है। जिस नाथद्वारा का आज तक सारा प्रबंध नाथद्वारा के ही महन्तों द्वारा होता रहा है उसका प्रबंध आज हमारी सरकार करने चली है, भगवान से भी बड़ी सरकार है यह। सरकार कहती है कि आप भ्रष्टाचारी हो गये हो, आप अपना प्रबंध नहीं कर सकते इसलिए सरकार कहती है कि हम तुम्हारा प्रबंध करेंगे......

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : यह तो आपकी पार्टी कह रही थी।

श्री मदनसिंह : जो नाथद्वारा में मालिक हैं जिनको कि यह बता रहे हैं कि आप अच्छा प्रबंध नहीं कर सकते। आज तो उदयपुर की पुरानी पीढ़ियां उनको कहती थीं, उनको प्रणाम करती थी, बड़े बड़े लोग उनके सामने नतमस्तक हो जाते थे और कहते थे कि हमारे घरों का प्रबंध अच्छा नहीं है हमें सद्बुद्धि दें, हमारे यहां के चीफ मिनिस्टर साहब स्वयं वहां जाते थे और कहते थे कि हमारी सरकार को सद्बुद्धि दें और

(श्री मदनसिंह)

आज ही वह कह रहे हैं कि तुम्हारा मन्दिर खराब है, तुम्हारा प्रबंध खराब है, तुम्हारे में भ्रष्टाचार फैल गया है इसलिए हम अब देवताओं के देवता हुए हैं साक्षात् अवतार सन्त-ऋषि होकर वहां का काम करेंगे। मैं तो कहता हूं कि यह धर्म के ऊपर कानूनन हस्तक्षेप है। ठीक है, आप कर सकते हैं आपकी सरकार है लेकिन साथ ही साथ जनसंघ इससे भी नहीं डरती है, विरोध भी ऐसी चीजों का होगा और इसका विरोध करने में अगर जीवन की आहुति भी देनी पड़े तो कोई बात नहीं है। कारण यह है कि अध्यक्ष महोदय, यहां पर पहले भी कई प्रकार के युद्ध हुए हैं...

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू): पहले भी कई दफा वहां के प्रांगण लाल हुए हैं, ऐसी क्या बात है?

श्री मदनसिंह: आंगने लाल की तो रामराज्य परिषद् वाले कहते हैं और यह तो उन्हीं का उद्देश्य है। मैं तो यह कहता हूं कि जैसा प्रजातन्त्र में विरोध होना चाहिए वह जरूर जनसंघ की तरफ से होगा क्योंकि हम मानते हैं कि आज भारत के संविधान में सबको धार्मिक स्वतन्त्रता है और इस प्रकार का बिल नाथद्वारा के बारे में लाना धर्म के ऊपर कुठाराघात है। जहां लोगों ने पैसा चढ़ाया और जिस मन्शा से चढ़ाया उसको आप कानून बनाकर खत्म कर रहे हैं। आज वहां हर लाखों आदमी भेंट देने के लिए जाते हैं। मैं भी वहां पर गया था और मैंने भी दस रुपया वहां पर चढ़ाया था और वह इसलिए चढ़ाया था कि वह पैसा किसी गरीब को जाये। परन्तु वह पैसा गरीबों के पास न जाकर गवर्नमेंट की जेब में जायेगा। यहां पर यह बात है कि जैसे राजाओं के टाइम में बड़े बड़े पण्डित थे। उनकी अगर सरकार सपोर्ट करती है तो आज राष्ट्रीय सम्पत्ति बर्बाद होती है और आज राष्ट्र के लिए जो यहां पर सालाना २० लाख रुपया आता है वह खत्म होगा। पर जहां पर सच-मुच राष्ट्र की सम्पत्ति खत्म होती है वहां तो सदस्य देखते रहते हैं। आज को-ऑपरेटिव बेसिस पर राष्ट्र की सम्पत्ति खत्म हो रही है। पद् यात्रियों के अन्दर एक हजार रुपया महा-वार खत्म हो रहा है, क्या यह राष्ट्र की सम्पत्ति नहीं है? नाथद्वारा के लिए जिसने रकम चढ़ा दी है और जो एक सम्पत्ति के रूप में सरकार को दिखती है और उस सम्पत्ति को अब सरकार अपने अधिकार में ले लेना चाहती है, ऐसे कानून का विरोध भी होगा और मैं समझता हूं कि धार्मिक स्वतन्त्रता के लिए हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हर मीटिंग में यह आश्वासन दिलाया है कि आपके धर्म में हस्तक्षेप नहीं होगा। कानून के जरिये जहां लड़ाइयां लड़ी हैं वहां उन्होंने आश्वासन भी दिलाया है कि धर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। पर आज हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि हमारे धर्म में हस्तक्षेप हो रहा है और साथ ही साथ वहां पर अपना हाथ भी रखे रखते हैं ताकि महन्तजी इनके साथ चुनावों में भी रहें और इनकी मदद करें। एक तरफ तो कहते हैं कि महन्तजी का प्रबन्ध अच्छा नहीं है और दूसरी तरफ कहते हैं कि सब सुविधायें उनको दी जायेंगी। इसलिए मैं समझता हूं कि यह न तो कोई नाथद्वारा का जिक्र है और न किसी का जिक्र है बल्कि यह जिक्र तो सरकार का है। इनको तो नाथद्वारा के पूरे २० लाख रुपये दिखते हैं और चाहते हैं कि हमारे कुछ वरकर्स यहां

(श्री मदनसिंह)

पर लगे रहें और फिर महन्तजी के ऊपर भी इनका हाथ रहे कि देखो सरकार ने आपके लिए कितनी सुविधा दी है। हिन्दू ट्रस्ट बिल को लाने के लिए जैसे सबसे पहले हाथ का मोरा होता है वैसे ही नाथद्वारा के ऊपर मोरा किया गया है। हम तो इसका विरोध करते हैं और सदन के सभी माननीय सदस्यों से अभी भी अर्ज कर रहा हूँ कि अगर आपकी मतिभ्रम हो गई है मन्त्री महोदय के कहने से तो मैं समझता हूं कि...

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Sir, 'Bhram' is not a good word to be used for Hon. Members; that the members are loosing their sense.

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, भ्रम के लिए कह रहा हूं। हमारे महापुरुषों के लिए और देवी देवताओं को तो जाने क्या क्या कहा गया है। हमारे मावली से आनेवाले माननीय सदस्य ने जाने क्या क्या नहीं कहा। आज वह जमाना नहीं रहा है। मैं कहता हूं कि जब आप इतने एडवान्स हो गये हैं, आप इतने आगे बढ़ने के लिए चले हैं तो क्या संस्कृत भाषा कोई माने रखती है? इसलिए मन्दिरों की मर्यादा तो बहुत पुरानी है या फिर साहित्य अकादमी से राष्ट्र का सारा भला होने वाला है, उसी से दुनिया का सारा भ्रष्टाचार मिटने वाला है। तो नाथद्वारा का सारा चार्ज इनको ही दे दें या और फिर हमारे फुलेरा से आनेवाले, पूरे धर्म के जानने वाले, दुनिया से दूर, कोई, क्योंकि कुछ कार्य नहीं कर सकते, सारे संसार से विरक्त हैं और कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसे ही लोग हैं जो अच्छे महन्त बन सकते हैं। इसलिए जब असेम्बली में इस तरह हमारे महापुरुषों के लिए और देवी देवताओं की बातें होती हैं तो मैं इसका विरोध करता हूं। आज मैं आपको बता दूँ कि कोई भी भेंट चढ़ायेगा तो वह महन्तजी को चढ़ायेगा। क्योंकि हमने देखा है कि लोगों की श्रद्धा महन्तजी के लिए कैसी है। वर्ना हमने आज भी गांवों में देखा है कि खेजड़े के नीचे पत्थर रख दिया जाता है और उसकी पूजा होती है, उस पर भेंट भी चढ़ाई जाती है, मिठाइयां भी चढ़ती हैं। वहां पर महन्तजी के पास पैसा कोई यों ही नहीं आया है। लोगों की श्रद्धा है इसलिए चढ़ाते हैं। शायद लोगों का काम निकलता होगा और करोड़ों रुपये का व्यवसाय चलता होगा इसलिये वह मन्दिर में एक लाख रुपया चढ़ा जाते हैं। वह जानते हैं कि यह रुपया मूर्ति के काम नहीं आयेगा वरन् मन्दिर की व्यवस्था के काम में आयेगा। लेकिन यहां पर कहते हैं कि मूर्ति का रुपया अलग है। मैं समझता हूँ कि आज इस युग में यह सोचना कि पत्थर की मूर्ति का रुपया अलग होना चाहिए, यह दिमाग का दिवालिया-पन है.......

श्री जनार्दनराय नागर : अब क्या खुद कह रहे हैं भगवान् के लिए?

(हंसी)

श्री मदनसिंह : मैं खुद कुछ नहीं कह रहा हूं आपके दिमाग की बात कह रहा हूँ। इस युग के लीडर हैं, इस युग को बनाने वाले हैं, उनके दिमाग में आता है कि मूर्ति का रुपया अलग होना चाहिए। मैं यह कहता हूँ कि इस रुपया का चुनाव के टाइम में इस्तेमाल होगा। मैं यह दावे के साथ कहता हूं, अध्यक्ष महोदय। यह पैसा एकडमी

(श्री मदनसिंह)

को सहायता के रूप में मिलेगा, जो कि राष्ट्र की सबसे बड़ी चीज़ है........

श्री जनार्दनराय नागर : बहुत धन्यवाद है ।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : आपके सपोर्ट से मालूम होता है कि जनसंघ कुछ रुपया लेने की कोशिश में है ।

(हंसी)

श्री मदनसिंह : यह भी ठीक हो सकता है कि जनसंघ रुपया लेगा। आपको धन की आवश्यकता अधिक है, उससे यह प्रेरणा होती है कि रुपया लेना खराब नहीं है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूँ कि इस तरह के धार्मिक स्थान हैं, जिनमें कम से कम भ्रष्टाचार होता है और हमारा राजस्थान का जो राज्य है, यह हिन्दुस्तान का एक नमूना है और राजस्थान का भीलवाड़ा है वह भ्रष्टाचार का केपिटल है। उन लोगों के द्वारा मंदिर की व्यवस्था की जायगी तो मैं समझता हूं कि वहां पूजा नहीं होगी और कोई सुधार की बात नहीं होगी। उस मंदिर की व्यवस्था को खत्म करके वहां एक अकादमी चलेगी। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ और समझता हूं कि ऐसा कानून असेम्बली में नहीं आना चाहिए, ऐसे कानून के लिए विचार नहीं करना चाहिए। इसका कारण एकमात्र यह है कि यह धार्मिक स्थान है, धार्मिक लोगों की चीज़ है। ऐसे स्थान के सुधार की दुहाई देकर ऐसी बात करते हैं तो मैं नहीं समझता कि यह कहां तक उचित होगा ?

श्री रघुवीरसिंह (राजगढ़) : अध्यक्ष महोदय, यहां सरकार के कुप्रबन्ध और सुप्रबन्ध की बात करते हैं, मैं निवेदन करूंगा कि प्रबन्ध के लिए सरकार कुछ करे, मुझे इसमें आपत्ति नहीं है, वहां क्या भेंट आती है, उस भेंट पर रोक लग सकती है या नहीं लग सकती है, उसके लिए आप कुछ करें, इसमें भी मुझे कुछ आपत्ति नहीं है, मुझे सबसे बड़ी आपत्ति है, अध्यक्ष महोदय, वह केवल यह है कि भगवान् की प्रतिमा को एक प्रोपर्टी समझ लिया गया है। एन्डोवमेंट की डेफीनेशन में एक तरफ भगवान् की प्रतिमा को, जिसको भगवान् का साक्षात् रूप मानते हैं, प्रोपर्टी दान की हुई प्रोपर्टी मान लिया है और दूसरी तरफ आप सेक्शन तीन में कहते हैं The whole property will vest in Shrinathji. मैं यह कहता हूं कि प्रोपर्टी में प्रोपर्टी कैसे वेस्ट हो सकती है। मैं समझता हूं यह गलत बात है। मैं निवेदन करूंगा कि यह धार्मिक भावना के ऊपर, उपासना की भावना के ऊपर बड़ा कुठाराघात है। यह सबसे बड़ी चीज़ है कि भगवान की प्रतिमा है, जिसको हम समझते रहे हैं कि यह भगवान कृष्ण का साक्षात् रूप है। जैसा कि इतिहास कहता है कि नाथद्वारा के श्रीनाथजी की मूर्ति कोई गढ़ी हुई मूर्ति नहीं है। जैसा कि लोग बहस के अन्दर कह रहे थे कि यह मूर्ति कारीगरों ने गढ़ी, यह कारीगरों की गढ़ी हुई मूर्ति नहीं है, यह स्वयं प्रगट हुई मूर्ति है, स्वयं प्रगट हुआ भगवान् का स्वरूप है। इस मूर्ति के लिए कानून बना कर कहें कि यह किसकी सम्पत्ति है, किसी व्यक्ति विशेष की सम्पत्ति है, मैं कहता हूँ कि यह कहना एक अत्याचार है, अनाचार है और ऐसा कहना वैष्णव समाज पर एक कलंक लगाना है।

Page No.30

श्री अनूपसिंह (बालोत्तरा) : अध्यक्ष महोदय....

श्री दामोदरलाल व्यास (मंत्री देवस्थान विभाग) अध्यक्ष महोदय, माननीय..(श्री अनूपसिंह से) आपका बोलने का विचार है ?

श्री अनूपसिंह : विचार तो है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं विचार कर रहा था कि आप कैसे रह गये।

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : माननीय अध्यक्ष, हमारे सामने कई तरह के बिल पहले आये हैं और सदन में पास हुए हैं पर शायद ऐसा कोई बिल नहीं आया है कि जिसमें कि हमारी धार्मिक भावना और हमारे सेन्टीमेंट्स की चीज हो......

१०. १५ म० पू०

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

हमारे दिल और दिमाग पर एक असर डालने वाली चीज़ हो। जो नाथद्वारा का मंदिर है, यह मंदिर सारे राजस्थान में तो क्या, सारे भारतवर्ष में एक माना हुआ मंदिर है और यहां की मूर्ति इतनी चमत्कारिक है कि जहां पर हजारों और लाखों आदमी सिर्फ श्रद्धा की भावना को लेकर आते हैं और जो कुछ उनके पास होता है, जिस तरह की भावना होती है, वह वहां वे चढ़ाते हैं। हो सकता है कि वहां किसी तरह कोई प्रबन्ध में कमी रही हो या कुछ चीजें जो वहां न हुई हों, वे हुई हों या जो होना चाहिए था वह न हुआ हो। मैं मानता हूं इस युग में जब कि भ्रष्टाचार और करप्सन का वातावरण हो गया है वहां पर भी कोई भ्रष्ट्राचारी और मैं नहीं समझ सका कि कुछ भी दुराचारी आदमी हो गया है। वहां आदमी है, श्रीनाथजी की मूर्ति के वास्ते, पूजा के वास्ते जिनको वहां कर्म कांड के वास्ते रखा जाता है अगर उनमेंएक आदमी भ्रष्ट हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि उस मंदिर के ऊपर आप ऐसा अधिकार जमा लें कि जिससे धार्मिक भावना पर ठेस पहुंचे ? माननीय अध्यक्ष, मेरी समझ में नहीं आया कि राजस्थान सरकार यह समझ कर चल रही है कि वहां बोर्ड बन जायगा, उसके बाद वहां किसी प्रकार का करप्शन नहीं रहेगा। वहां पर किसी तरह की अनियमितता है, वह सब तरह से ठीक हो जायगी, सुव्यवस्थित होगी, सुचारू रूप से काम चलेगा। जो एग्ज़ीक्युटिव ऑफिसर रखा हुआ है वह बड़ा आदमी होगा जिस तरह के ऑफिसर राजस्थान गवर्नमेंट में रखे हुए हैं, एग्जीक्युटिव ऑफिसर हैं। हमको मालूम होता है कि यह बोर्ड म्युनिसिपेल बोर्ड की तरह होकर रह जायगा। माननीय अध्यक्ष, हमारे यहां ऐसी कई म्यूनिसिपल कमेटी हैं जिनके अन्दर गवर्नमेंट का पूरा हाथ है, जिनके ऊपर गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल है, सब कुछ गवर्नमेंट से पूछ कर होता है, सब काम गवर्नमेंट की इजाजत से होते हैं। फिर भी यह देख रहे हैं कि उस बोर्ड से कनेक्टेड व्यक्ति हैं वे सेटिसफाइड नहीं हैं। इसका कारण यह है कि हमारी सरकार के अन्दर भ्रष्टाचार को खत्म करने की, सुव्यवस्था को लाने की ताकत नहीं है। यह नहीं कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार एक तरफ है, सरकार एक तरफ है। जहां सरकार का हाथ है वहां भ्रष्टाचार होता है। मेरी समझ में नहीं आता वहां बोर्ड कौनसी चीज़ कर देगा जिससे कि वहां की व्यवस्था टीक हो जायगी ? जो वहां

(श्री अनूपसिंह)

पर एग्ज़ीक्युटिव ऑफिसर गवर्नमेंट का रखा हुआ होगा वह बोर्ड की क्या परवाह करेगा ? वह जानता है कि उसे गवर्नमेंट ने अपॉइन्ट किया है, उसको बोर्ड के कहने में रह कर, मेम्बरों की राय मान कर काम करने की जरूरत नहीं है। वह तो एक रस्ट्रोकेट बन कर बैठ जायगा। वह जानता है कि गवर्नमेंट ने उसे अपॉइन्ट किया है, उसे बोर्ड से क्या लेना है, व्यवस्था चलती है या नहीं, उससे उसे क्या मतलब है। एग्ज़ीक्युटिव ऑफिसर वहां वही होगा जो आपका कृपापात्र होगा, जो आपकी मन्शा का होगा और जिसका खर्चा होगा मंदिर के पास, जो कन्सोलिडेटेड फन्ड होगा मंदिर का, उसमें से उसको तनख्वाह मिलेगी। वह जानता है कि मुझे क्या तनख्वाह उठानी है, गवर्नमेंट ने मुझे अपॉइन्ट किया है, मुझे क्या मतलब है कि बोर्ड की बात मानता फिरूं ऐसी हालत में एग्ज़ीक्युटिव ऑफिसर बोर्ड के सदस्यों की बात मान ले, निष्पक्ष होकर बोर्ड की सलाह मान कर, वहां की परम्पराओं, वहां जो कुछ रीति रिवाज है उसको मानते हुए काम करे, इसका विचार नहीं होगा। इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि जो म्यूनिसिपल कमेटी काम कर रही है आज तक भी राजस्थान में एक आध की हालत ठीक होगी, मेरे ख्याल में एक आध के सिवाय और नहीं होगी। वहां एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रहते हुए भी ठीक तरह से, सुचारू रूप से काम नहीं चल सकता। हम आज ऐसी चीज को लेकर चले हैं जो कि हमारी परम्पराओं का, हमारी संस्कृति का, हमारी धार्मिक भावनाओं का प्रतीक है, इसे इस तरह खत्म करना चाह रहे हैं और उस पर इस तरह कानून बना कर उसका कंट्रोल लगाना चाहते हैं जिससे कि काम को ठीक नहीं कर सकते।

अब इस बिल में देखें तो इसमें यहा तक है कि जो गोस्वामीजी हैं वे अगर चार मीटिंग में न आवें तो उनको हटाया जा सकता है। जो गोस्वामी बनते हैं वह गोस्वामी किसी का अपॉइन्टेड नहीं है। उसकी जो गद्दी है वह बाई वरच्यु ऑफ बर्थ उस गद्दी का हकदार है। गद्दी का हकदार होते हुए ही वह गोस्वामी है, गोस्वामी होते हुए ही बोर्ड का मेम्बर है अगर वह चार मीटिंग में न आवें तो उसे हटा दिया जाय और गोस्वामीजी का बोर्ड में हाथ न रहे, गोस्वामी प्रबन्ध में किसी तरह की जिम्मेदारी न समझे, उसको आप हटा कर बोर्ड से अलग कर सकते हैं। आप समझिये कि जो गोस्वामीजी श्रीनाथजी के मंदिर के...

डॉ० **बहादुरसिंह** (धौलपुर): दूसरा कोई गोस्वामी होगा।

श्री **मदनसिंह** (दांता रामगढ़) : खैर, आपकी बारी नहीं आई है।

डॉ० **बहादुरसिंह** : बड़ी बात नहीं है।

श्री **मदनसिंह** : आप भी जांय, तो मुझे एतराज नहीं ...

श्री **अनूपसिंह** : इस बिना पर गोस्वामीजी को हटाया जा सकता है कि वे चार मीटिंग्स में न आ सकें और उन पर उल्टे-सीधे लांछन लगा कर जैसा कि परम्परा से चला आया है उन्हें हटाया जा सकता है। राजस्थान सरकार लांछन हटा भी नहीं सकती। तो गोस्वामीजी को ४ मीटिंगों में न आने के कारण हटाया जा सकता है, वे मन्दिर के

(श्री अनूपसिंह)

इतने माने हुए प्रतिष्ठित, हिन्दू धर्म के नाते उनको एक बहुत बड़ा आदमी मानते हैं, उनको हटाया जा सकता है यह कह कर कि वे ४ मीटिंग्स में नहीं आये।

टेम्पल का खर्चा, इमोल्यूमेंट्स, टी. ए., डी. ए. सब उसमें से निकलेंगे। मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार अपने कानून से बोर्ड बना कर खर्चा करना चाहती है, फिर मन्दिर के लिये गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, गवर्नमेंट क्या मन्दिर को एड देती है, जिसकी वजह से कि वह खर्चा करे? जिस तरह मन्दिर अपना एक अलग बोडी था। इमोल्युमेंट्स रैम्यूनेरेशन्स इसके फन्ड्स में से होंगे तो गवर्नमेंट मन्दिर के फन्ड्स में से लेना चाहती है, देना कुछ नहीं चाहती। तुम्हारा ही पैसा और तुम्हारा ही सब कुछ, आदमी हमारे रहेंगे। तो इसके माने यह हुए कि मन्दिर का कॉन्स्टिट्युशन, व्यवस्था है, उसको आप एक तरफ उखाड़ कर फेंकना चाहते हैं। और हमें क्या विश्वास है कि जिस तरह म्युनिसिपल बोर्ड बने हुए हैं, उसी तरह यह भी हो जायगा और गवर्नमेंट से सेंक्शन लेने का तरीका है उसमें पूरा डाउट है कि पूजा के लिये सेंक्शन समय पर आ जायगी और फिर इस तरह पूजा भी नहीं हो सकेगी। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि कहां तक इस गवर्नमेंट के पीछे पीछे अपनी व्यवस्था चलाने के लिये इस मन्दिर को रुकना पड़ेगा। एग्ज़ीक्युटिव ऑफिसर को आपने पॉवर दी हैं, वह बंट जाय, बोर्ड के हाथ में क्या पॉवर है? कोई मेम्बर कहीं बैठा है तो कोई कहीं है, तो फिर उनको क्या पता चलेगा? उनको तो जब दूसरी मीटिंग होगी तभी पता चलेगा। मेम्बर्स के लिये, मेम्बर्स के प्रति एग्जीक्युटिव ऑफिसर रेस्पोन्सिबल तो हैं नहीं।

इसके साथ माननीय उपाध्यक्ष, आंगन लाल या पीला होने का पता नहीं। लाल हुआ होगा, पता नहीं, लाल पार्टी आये तो लाल हो सकता है नहीं तो आजकल तो पीला बन रहा है, काला बन के रह जायगा। फिर वो तो वे लोग ही बोल सकते हैं जो कंधे पर तलवार रखते थे। आज तो वहां का आंगन काला हो रहा है, लाल करने वाली पार्टी आयेगी तो सामनेवाले वहां नहीं बैठेंगे।

एक माननीय सदस्य : कानून में नहीं है लाल पीले की बात।

श्री मदनसिंह : यह आंगन के लाल, पीले, काले का क्या सवाल है, माननीय उपाध्यक्ष?

श्री उपाध्यक्ष : आपके प्रवचन पर कहा था।

श्री मदनसिंह : मैंने नहीं कहा।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : मेरे निवेदन करने का मतलब यह था कि इस मजहब को लेकर मुसलमानों के राज्य में, बड़ी बड़ी कुर्बानियां की गई हैं। मन्दिरों के सवाल को लेकर अनेकों ने बलिदान किये, खुद मर कर त्याग करके, वीरता दिखा कर प्रांगण को लाल किया था। इससे मेरा यह संकेत है कि यह धर्म की चीज है, इसके वास्ते बहुत विचार करके गवर्नमेंट को यह चीज अपने हाथ में लेनी चाहिये। मिसअन्डरस्टेंडिंग इस चीज की हो रही है और क्या कठिन चीज़ है कि कभी ऐसा हो भी जाय।

श्री अनूपसिंह : माननीय उपाध्यक्ष, जो मैं कह रहा था उसका लिंक टूट गया है इसलिये मैं बैठ जाऊंगा।

(हंसी)

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर नगर पूर्व) : माननीय उपाध्यक्ष, मैं इस बिल पर बोलने की इच्छा नहीं रखता था इसके नतीजे को देख कर। पर प्रश्न बुनियादी रूप से बहुत महत्व रखता है इसलिये मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि इसके लिये विरोध प्रकट करूं और अगर इस इच्छा को दबा लेता हूं तो मैं समझता हूँ कि न केवल मैं अपने कर्त्तव्य से विमुख होता हूँ बल्कि अपने सदन के साथियों, सहयोगियों से अपने विचार न बताने का दोषी होता हूं।

पहली बार मैंने इस बिल का विरोध किया था और कुछ वैधानिक आपत्तियां दलील के रूप में पेश की थीं तो मन्त्रीजी ने फरमाया था कि जब धारा वाइज़ विचार होगा तो वैधानिक खामियों को मिटाने की कोशिश की जायगी। धारावाइज़ विचार करने पर मैं इस बिल के कलेवर को देखता हूँ तो प्रकट देखता हूं कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यह जैसा पहले था करीब २ उसी रूप में हमारे सामने है।

श्रीमान्, मैं कहना यह चाहता हूँ कि ऐसा कानून बनाने के पेश्तर कुछ बुनियादी बातें रखनी चाहिये, उन बातों को हल्का और सस्ता समझ कर न करें। हमारे देश में जो शासन व्यवस्था स्वीकार की गई है वह जनतान्त्रिक शासन व्यवस्था है। अगर देखें तो हमारे देश का संसार भर में सबसे बड़ा विधान हमारा ही है, हर बात को इसमें गहराई से विचार कर हर बात की धारा रखी गई है, नियोजन किया गया है, नियम दिये गये हैं पर मान लीजिये अगर इतना बड़ा विधान नहीं होता और इतनी सी ही एक पंक्ति होती कि हमारे देश की शासन व्यवस्था जनतांत्रिक होगी तो इस एक वाक्य में कितनी बातें आ जाती हैं, वह मोटी मोटी बातें हैं उनको भी हमने नजरन्दाज किया है।

एक मुहावरा बार बार मेरे ध्यान में आता है, जिसको राधाकृष्णन और दूसरे विद्वान् Unity in Diversity. बहुत मतों का भेद रहते हुए भी एक व्यापक जनतन्त्र की परिभाषा पूछें तो मैं यह परिभाषा लूंगा कि ऐसी एकता जिसमें भिन्नता मौजूद रहती है, बल पूर्वक भिन्नता को समाप्त नहीं किया जाता है। क्योंकि जहां आन्तरिक भिन्नता को बलपूर्वक समाप्त किया जाता है तो वह जागृत जनता और जनतन्त्र देश की एकता नहीं होती। वह तो मुर्दाफरोशों की एकता होती है। वह मरघट की एकता कहलाई जा सकती है। लेकिन जहां जनतन्त्र में आजादी से रहनेवाले, देश का विकास करनेवाले लोग रहते हैं और उनकी यही भावना रहती है वहां पर एक प्रकार की...एकता होती है। मगर जहां भिन्नता रहती है और जनतन्त्र देश में रहनेवाले भिन्न २ मतों के लोग अपने विचारों के अनुसार अपने जीवन को व्यापन करते हैं वह आजादी नहीं होती। वह देश जनतन्त्रीय देश कहलाता है। उसको तानाशाही का देश कहना चाहिये और कहलाता है। वह जनतंत्र नहीं कहलाता।

यह एक मूलभूत सिद्धान्त है कि जहां यूनिटी में इन्डिविजुअल को फलने फूलने का मौका मिले। इस मोटे सिद्धान्त को हम भूल जाते हैं। जब हमने इस कानून पर विचार किया तो यह बात हमारे सामने

Page No.34

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

आई कि धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात को लेकर हमने अपनी दृष्टि को उतना सीमित कर दिया है कि धर्म के मामलों में दस्तन्दाजी नहीं करना है। मैं यह कहूंगा कि केवल धर्म के मामलों में आप दखल न करें। मेरे भाई का और मेरा परमात्मा अलग अलग हो सकता है और अलग अलग धर्म हो सकते हैं इसमें आपको दखल देने की आवश्यकता नहीं क्योंकि यह तो एक व्यक्ति की स्वतन्त्रता है। इसके अलावा एक विचारधारा रखने-वाले व्यक्तियों को भी वही स्वतन्त्रता है मगर उन लोगों को यह पता नहीं होगा कि मेरा परमात्मा का क्या होगा इसमें यही आता हैं कि उनका सामाजिक जीवन कैसा होना चाहिये, वे मेहन्त मजदूरी से क्या चाहते हैं। ये चीजें स्वतन्त्रता में आती हैं। इसके अलावा परमात्मा की सेवा में किस तरह अपना जीवन बिताना चाहिये शारीरिक जीवन पर व आर्थिक जीवन पर किस तरह से असर होगा, किस तरह से अपना जीवन यापन करना चाहिये ये सारी बातें मानव जीवन में आती हैं और इसके लिए सीमाऐं होती हैं। अगर इसके लिये सारी सीमाऐं नहीं होती हैं तो वह जनतन्त्र नहीं है। हां, इसमें सारे देश की सीमाऐं भी लगाई जाती हैं और इसमें बाधाएं भी होती हैं। मगर एक बात यह भी रहती है कि अगर एक मित्र पर कोई बाधा होती है और मेरे दूसरे मित्र पर भी वही बाधा पहुंचती है तो उस पर रोक लगाना जरूरी है। आप इस बिल को ही ले लें। नाथद्वारा में वैष्णव पुष्टिमार्गी सम्प्रदाय अपना इन्तजाम हर तरह का करेंगे परन्तु दूसरे संप्रदाय हैं उनके हितों पर कुठाराघात होता हो तो उसमें अवश्य दखल करना चाहिये। मैं आपको एक मोटी मिसाल देता हूं राष्ट्रीय आन्दोलन की। इससे तो सभी माननीय सदस्य पूर्णतया परिचित ही हैं। हम यहां पर विधान सभा में बैठे हैं, यह एक सेकुलर मंदिर है इसमें। मैं मिसाल दूंगा। अंग्रेजों का जब सारे संसार भर में इम्पीरियलिजम का बोलबाला किया हुआ था उस समय भारतवर्ष में राज्य करने की उचित पॉलिसी निकाली और वे कहा करते थे जो माननीय सदस्यों को और माननीय मंत्री महोदय को तो निश्चित रूप से यह मालूम ही होगा। उन लोगों ने यह कह कर राज्य किया, 'White Man's Burden'; इसका अर्थ यह था कि 'गोरी चमड़ी वाले काली चमड़ी पर राज्य करो' का जिम्मा लिया है। वे कहते थे कि उनको जीवन यापन करने का ढंग ही मालूम नहीं है। हिन्दुस्तान के लोग कुछ नहीं जानते। हिन्दुस्तान के लोगों को मंदिर में घन्टा बजाने के अलावा कुछ नहीं आता। बिजली की घन्टी बनानी और बजानी नहीं आती। उनको रेलवे बनाना नहीं आता। उनको इंजिन बनाना नहीं आता। सब गोरी चमड़ीवालों ने उनको सिखाया है और ये लोग गोरी चमड़ी के सिर पर बोझ के रूप में हैं। इन लोगों को हमने ज्ञान दिया है। इस प्रकार का बवन्डर मचाया और इस तरह से हुकुमत की। वे कहा करते थे कि हमने काली चमड़ीवालों को स्वराज्य दिया है। यह उनका यख्याल था और सीमाओं में बांध कर ऐसी दलीलें देते थे। उस समय हमारे देश के राष्ट्रीय बड़े बड़े नेता उनको क्या जबाब देते थे : No amount of good Government is any substitute for self Government. हमारा कुराज्य ही बहुत कीमती चीज है। आप कितना ही भला करें मगर हमारा कुराज्य ही आपके स्वराज्य से

Page No.35

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

अच्छा है और वही बात दुरुस्त निकली है कि आपके घर में बच्चा जिस समय चलना सीखता है तो गिरता है और आप उस बच्चे को गिरता हुआ देखते हैं क्योंकि वह बच्चा मेरी और आपकी तरह से चल नहीं सकता। पहले घुटनों से चलता है और बाद में पैरों से चलने का प्रयत्न करता है। जब वह पहले चलने का प्रयत्न करता हैं तो गिरता है और चोट खाता है। आप उसे ऐसा नहीं करते कि बच्चा चलना बन्द करदे। तेरी रक्षा के लिए चलना बन्द कर दिया जाए। आप चाहते हैं कि वह चलना सीखे। आप जानते हैं कि दुनिया में तरक्कियें यों ही थोड़े ही होती हैं। जब आप अपने बच्चे को उसके हित के लिए नहीं रोकते और आप इस सिद्धान्त को मानते हैं तो आपको कोई हक नहीं है कि किसी संप्रदाय को ऐसा कहें। वे उसके स्वयं रक्षक हैं। अगर उसमें उनकी कुव्यवस्था भी है तो आपको यह कहूंगा कि आपकी सुव्यवस्था से बढ़ कर होगी। अगर आप उसमें कुछ भी दखल करते हैं तो आप उनके विकास में कुठाराघात करते हैं। एक देश जागृति के मंजिल पर पहुंचता है ठोकरें खाने के बाद। दुनिया का यही नियम है। यह एक परम्परा है कि बुराई के बगैर अच्छाई पैदा नहीं होती। इसी सिद्धान्त को हमने माना है और हमारे संविधान में विद्वानों ने शामिल किया है। मैंने इसकी तरफ आपका ध्यान दिलाया है।

इसके अलावा माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि कानूनी दृष्टि से इस पर विचार किया गया है। इस सम्बन्ध में मैं एक रिपोर्टेड केस की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।। कानून की किताब मैं साथ लेकर आया हूँ। ए. आई. आर. १६५२ मद्रास में ६१३ पेज पर छपा है। करीब करीब सारी परिस्थितियें जो नाथद्वारा की हैं वही उससे मिलती जुलती हैं। उस केस को मैं साइट करता हूँ। इसके अलावा दर्गाशरीफ के बारे में भी हाई कोर्ट से फैसला हाल ही में हुआ है। अगर माननीय मंत्री महोदय को देखना हो और दिलचस्पी हो तो मंगा कर देख सकते हैं। हाई कोर्ट के आगे सुप्रीम कोर्ट में होगा तब देखा जावेगा। मेरा दृष्टान्त देने का मतलब केवल इतना ही है कि इन्हीं बुनियादी उसूलों पर फैसला दिया गया है और इसीलिये मैं आपका ध्यान आकर्षित करने के लिये कहता हूं। आपको कानूनी दृष्टि से कायल करने के लिये यह दलील पेश नहीं करता हूं। श्रीमान्‌जी, यह केस था दक्षिण भारत का। वहां पर एक मठ के उतराधिकारी के यहां सुव्यवस्था के लिये बोर्ड बना और उसने केस किया। उसका कारण इसलिए उपस्थित हुआ कि मद्रास सरकार ने एक कानून पास किया जिसका नाम, "Madras Hindu Religious and Charitable Endowments Act, 1957" है। इस कानून के अनुसार वहां के डिप्टी कमिश्नर को अधिकार था कि किसी मंदिर या मठ में यदि वह कुप्रबन्ध देखे तो उसके सुप्रबन्ध के लिये बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट बना सकता था, जैसा यहां पर है। इसमें तो सरकार ने यह मान लिया है कि यहां मिस मैनेजमेंट है, यही स्थिति वहां थी। यहां तो यह विशेष मंदिर के लिये है वहां पर यह सारे मन्दिरों के लिए था। जहां भी कुव्यवस्था दिखाई दे वहां बोर्ड कायम कर सकता था। वहां के मठाधीश ने आर्टिकल १६ और २६ भारतीय संविधान के अनुसार कहा कि वह हमारे

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

बुनियादी हक़ूकों पर आक्षेप करता है । उसके बारे में जो फैसला हुआ है उसको संक्षेप में मैं पढ़ कर आपको सुनाता हूँ :

"The subject matter of the impugned Act no doubt falls under item 28 of list III of the Seventh Schedule to the Constitution but unless the power to legislate has been exercised within the limits laid down by the Constitution the impugned Act cannot be upheld as valid law.

The impugned Act infringes Article 19 (1) (f) of the Constitution. The effect of the legislation is practically to reduce the Mathadhipathi to the position of a servant, subordinate to the Government even in respect of rights relating to property. The executive administration replaces the statutory control by the Board. The Mathadhipathi is bound to obey all lawful orders emanating from the Government down to the Assistant Commissioner. The premises of the Muth and the places of worship and mediation are not immune from interference by the Government" इतना मात्र नहीं है कि धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप हो, सम्प्रदाय को अपनी संपत्ति का प्रबन्ध करने का सेकुलर राइट संविधान के अन्तर्गत उनको है । उनके इस अधिकार को भी आप नहीं छीन सकते हैं । "The power to hold property carries with it the power to enjoy and utilise the income in a manner in which the person holding the property is entitled to spend it under law. This power is unduly and unreasonably restricted by Sec. 54 of the new Act.

The Act leaves nothing in the Mathadhipathi except a vestige of a right to call himself a Mathadhipathi with no power to manage the property, to deal with its income, to apply its surplus for the objects of the institution at his discretion and choice which is a right well recognised and established.

The argument that the appointment of the manager or the Executive Officer paid or otherwise, and the notification procedure relate only to secular affairs of the muth and do not trench upon the religious affairs, losses sight of the fact that a separation of religious affairs from secular affairs of a Muth in such watertight compartments is not possible. The property of the Muth and its income exist for one purpose and only one purpose and that is the religious purpose. It has to be applied and utilised for the maintenance of the Muth, for carrying on the worship and for the propagation of the religion.

The restrictions imposed are so drastic in scope that they go beyond the object sought to be achieved."

इस विधेयक में प्रोविज़न है कि सरप्लस इन्कम होगी उसको राष्ट्र के हितकारी कामों में लगाया जायगा । राष्ट्र को कोई अधिकार

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

नहीं है कि सम्प्रदाय विशेष की सम्पत्ति को छीन कर अपने काम में लगाये, इस दृष्टि से इस चीज़ को नहीं सोचा गया। मैं भी राष्ट्र में सम्मिलित हूं, किसी सम्प्रदाय विशेष की सम्पत्ति छीन कर दी जाती है और यदि वह मेरे भी काम में आती है तो मैं कहता हूं कि वह हमारे विधान के प्रतिकूल है, हमारे सिद्धांतों के प्रतिकूल है और प्रतिकूल होने पर भी उसको छीन रहे हैं, इसलिए मैं उसका हिस्सेदार नहीं बनना चाहता। हाई-कोर्ट ने कहा है—

"'Property' as used in Art. 19 (1) (f) includes even incorporeal rights. The addition of the right to dispose of property in Art 19 (1) (f) along with the right to acquire and hold is not intended to give a definition of property so as to limit it to disposable property. Property may be inalienable but yet a person may be entitled to hold it as in the case of inalienable service inams.

The head of a muth is not a bare trustee but occupies a peculiar position and has beneficial interest in the muth property and its income. The headship of a muth can, therefore, be considered as property within Article 19 (1) (f)."

महन्तजी को जो अधिकार हैं, आज हैड आॅफ दी इन्स्टिट्यूशन वे ही हैं, सारी सम्पत्ति को अपने अधिकार में रखना और उनकी मर्जी के अनुसार काम में लाने के ऐसे बुनियादी अधिकार उनको हैं जिससे हमारा संविधान आज्ञा नहीं देता है कि हम उनको समाप्त करें।

श्री उपाध्यक्ष : This clause 28 does not reveal that the property has to be for 'Rashtriya Hita' राष्ट्र के हित के काम में लिया जावे, ऐसा २८ में नहीं है।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : मेरी आपत्ति बुनियादी चीज़ की बहस में आई थी। एक माननीय सदस्य ने बताया था। उसका एक्चुअल इन्टरप्रिटेशन क्या होगा? लेकिन आपत्ति बुनियादी रूप में है, इस केस में ही तय किया गया है, नियम को नियमन बना सकते हैं। सकुलर स्टेट में सरकार को इतने अधिकार हैं कि प्रोपर्टी का किस प्रकार से इन्तज़ाम किया जाय, उसके नियम बना सकते हैं और उसके अनुसार इन्तज़ाम करना होगा और आम नियम है लेकिन उस इन्तज़ाम के अधिकार को ही छीन लें, ऐसा नियम नहीं बना सकते। मेरे फर्ज पर लिमिटेशन लगा सकते हैं। मेरी यह पुस्तक है, मैं चाहूं तो मैं इसको आग लगा सकता हूं, मैं इसको आग तो लगा सकता हूँ लेकिन जहां आग लगाता हूं मेरे साथी को उससे मुझे परेशान करने का अधिकार नहीं है। आप यह नहीं कह सकते हैं कि महेन्द्रसिंह! तुम अपनी जायदाद का इन्तज़ाम नहीं कर सकते हो इसलिये सरकार उसका इन्तज़ाम करेगी। यह इस प्रकार का नियम बनाना देश के जनतन्त्रीय अधिकारों के प्रतिकूल है।

इस मनोवृत्ति के चक्कर में बिना सोच समझ कर अपने राजनैतिक आचरणों को

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

ठीक नहीं रखें तो हम तानाशाही प्रवृत्तियों के चंगुल में फंस जावेंगे, अनावश्यक रूप में फंस जावेंगे इसमें कोई शंका नहीं है।

कई माननीय सदस्य : फंस गये।

श्री महेन्द्रसिंह : कुछ माननीय सदस्यों को शंका है कि फंस ही गये। फंस भी गये तो मैं कहूँगा कि भूला हुआ वापिस भी लौट आता है। जनतन्त्रीय देश के आजादी पसन्द नागरिकों में आप भी हैं, आपको हाथ पकड़ कर खींचेंगे, आपको कहेंगे कि इस चंगुल से निकलो। मैं मेरा कर्त्तव्य पूरा करने के लिये ही सदन के सामने खड़ा हुआ हूं, सदन मेरी इस बात को माने या न माने। आगे जो मेरा कर्त्तव्य होगा वह मैं पूरा करूंगा। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का सिद्धान्त रूप में विरोध करता हूं और यह अपील करूंगा कि इन चीजों को ध्यान पूर्वक सोचा और समझा जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने इस बिल पर जो एतराज किये हैं खासतौर पर अभी अभी अजमेर से आनेवाले माननीय सदस्य ने कुछ कानूनी और वैधानिक आपत्तियां उठाई हैं कि यह कानून यदि बन जायगा तो कॉन्स्टिट्यूशन के अल्ट्रा-वायर्स होगा और सन् ५२ में मद्रास हाई-कोर्ट की जो रूलिंग है उसको भी उन्होंने पेश किया। दर्गाह शरीफ एक्ट के बारे में हाईकोर्ट का जो जजमेंट है उसको भी पेश किया और यह बताने की कोशिश की कि डेमोक्रेसी में इस प्रकार के लॉ बनाने का सदन को अधिकार नहीं है और वे समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनको यह कानून वायोलेट करता है, जिससे आज़ादी के अधिकारों पर एक इम्पोज़िशन होगा और वह ठीक नहीं समझा जावेगा। मैंने दौराने बहस, जबकि कन्सीडरेशन के ऊपर बहस चल रही थी, अर्ज किया था कि जितने कानूनी मसले बताये जा रहे हैं उन पर पहले से ही विचार किया जा चुका है और जो कानून के विशेषज्ञ हैं उनकी भी इस सम्बन्ध में राय ली जा चुकी है। गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया के लॉ डिपार्टमेंट, अपने यहां के एडवोकेट जनरल व लॉ डिपार्टमेंट की भी इस सम्बन्ध में राय ली जा चुकी है और यही कहा गया है कि यह ठीक है। माननीय सदस्य ने मद्रास हाईकोर्ट की सन् ५२ की रूलिंग देते हुए कहा कि नाथद्वारा के केस के साथ यह फोर्स रखता है और एक जैसा ही है। मैं अर्ज करूंगा कि यह कतई एक जैसा नहीं है। फैक्ट्स एन्ड प्रेक्टिस डिफरेन्ट है, जो उसमें और इसमें इन्तजाम का तरीका रखा गया है वह डिफरेन्ट है। ५४–५५ के बॉम्बे और मद्रास के केसेज़ में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिये हैं और माननीय सदस्य जो कह रहे हैं उसमें उनको डिफाइन कर दिया गया है साफ कि लेजिस्लेचर को अख़्तियार है कि कानून बनाये जो रेस्ट्रिक्शन वगैरा रखी हैं उनको जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा। मौजूदा रूल्स को ध्यान में रखा गया है और यह नहीं कहा जा सकता कि कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया जा रहा है। आपने कहा कि दर्गाह शरीफ एक्ट के केस के सम्बन्ध में खुद आप एपीयर हुए थे, उनको अल्ट्रावायर्स करार दिया गया इसलिए यह भी फौरन हो जायगा, और जैसा वे समझते हैं, उसमें फैसला किया गया है, कुछ प्रोविज़ो उसके ऐसे हैं जिनको

(श्री दामोदरलाल व्यास)

अल्ट्रावायर्स किया है 'हाई कोर्ट' ने, उसमें जो फन्डामेन्टल बात है उसको समझने के बाद माननीय सदस्य खुद ही समझ जावेंगे कि इस एक्ट और उस एक्ट में समानता नहीं है। इस एक्ट को अल्ट्रावायर्स नहीं कर सकते, वह एक दर्गाह है, टोम्ब है, यह एक डिटी है और हाईकोर्ट ने खुद फैसले में जिक्र किया है।

मैं आपकी सूचना के लिये तीन चार लाइनें फैसले की पढ़ देता हूँ :

"During all the 400 years, Khadims were the persons who appropriated the offerings made to the tomb. Offerings at the tomb are again like offerings to the diety, but diety as a juridical person can own property for the purpose of the diety."

And then this is the most important thing:—"......but the tomb is, however, not a juridical person and offerings on the tomb are for the person who looks after the tomb."

यह जो नाथद्वारा मन्दिर की डिटी है वे खुद ऑफरिंग्ज ले सकती हैं, लेने का अधिकार है। टोम्ब में ऑफर्स लेने का अधिकार है लेकिन वह किसको है ? जो खादिम्स होते हैं उन्हीं को, जिनके द्वारा यह रिट की गई और जिस फैसले का आपने हवाला दिया है, इसमें फर्क साफ है। खादिम को रेस्ट्रेन किया गया है, उसको अल्ट्रावायर्स डिक्लेअर किया है। यहां डिटी के लिये जो ऑफरिंग्ज़ होती हैं, in law keep and accept all the offerings.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व) : But who should spend the offerings made to the diety ? He should also enlighten us if the diety has to spend it, who is to interpret the command of the diety ?

श्री दामोदरलाल व्यास : It is for that purpose only that we are legislating. The offerings to the diety should be properly managed. So for as the Mahant is concerned his rights, privileges and emoluments and position as a priest are all safeguarded under clause 22 of this Bill and there is no interference in his privileges.

इसलिये इसमें इन्टरफिअरेन्स नहीं होता, इसमें इनके राइट्स को इन्टरफिअरेन्स नहीं होता।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : मेरा निवेदन यह है कि वह जब टोम्ब है तो वहां जानेवाले आदमी की अंगुली कैसे पकड़ी जाती है।

श्री दामोदरलाल व्यास : वह तो आपने देखा होगा।

श्री उपाध्यक्ष : अंगूठी हो तो।

(हंसी)

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं अर्ज यह कर रहा था इसके बाद के सुप्रीम कोर्ट के फैसले मद्रास और बम्बई के हैं उनको भी देखना चाहिये। हमें उनको नहीं भूलना चाहिये....

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : You mean that Badrinath temple probably.

श्री दामोदरलाल व्यास : बॉम्बे का है।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : Bombay is 1953 Supreme Court.

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : इस पर तो रूलिंग हो चुकी है।

श्री उपाध्यक्ष : Why disturb the debate ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आजकल ऐसा लगता है, दांता रामगढ़ से आये हुए माननीय सदस्य कानून में माहिर हो गये हैं शायद.......

श्री मदनसिंह : यह पण्डिताई तो आपको ही दे रखी है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं आप से अर्ज यह कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट १९५४ है, उसमें इन तमाम बातों को कन्सीडर किया गया है। हमने उस फैसले का इस बिल के ड्राफ्ट करते वक्त पूरा ध्यान रखा है। और उसके अनुसार जितना भी लेकूना हमें दिखाई दिया उसको रखने की कोशिश नहीं की। बम्बई, मद्रास के रूलिंग है इस पर That is from Bombay.

इसके अलावा दूसरी बात जो कहना चाहता हूं वह यह कि इस प्रकार का कानून हम ही पहले बना रहे हों, यह बात नहीं। भारत के अन्य राज्यों में भी इस प्रकार के कानून प्रचलित हैं जिनका हवाला मद्रास, बम्बई सुप्रीम कोर्ट में दिया हुआ है। १९५४ सुप्रीम कोर्ट में उन कानूनों को वेलिड करार दिया है और कहा है कि इस प्रकार के कानून स्टेट लेजिस्लेचर को बनाने का अधिकार है इसलिये इस कानून के अल्ट्रावायर्स होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। जैसा कि ख्वाजा साहब की दर्गाह के लिये बताते हुए उसमें साफ कहा गया है कि ट्रॉम्ब और डिटी में कितना फर्क है। सन् ५२ के मद्रास हाई कोर्ट के फैसले का जो उदाहरण दिया गया, १९५४ सुप्रीम कोर्ट में जो फैसले दिये गये हैं उसमें भिन्नता है। उन सब बातों को विचार करते हुए सन् ५४ के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है।

अब रहा दूसरा सवाल जो धारा २८ का उल्लेख करते हुए एतराज किया कि इस मन्दिर की प्रोपर्टी जो सरप्लस पड़ी है उसको राष्ट्रीय कामों में खर्च किया जायगा। राष्ट्रीय काम के लिये रख दिया गया है यह अलट्रा-वायर्स है और धार्मिक भावनाओं के खिलाफ है। इस बारे में किसी माननीय सदस्य ने क्या क्या कहा इससे कोई संबन्ध नहीं। लेकिन जो प्रोविज़न इसमें है उसको जरा गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि धारा २८ में कहीं भी राष्ट्रीय कामों में खर्च करने का उल्लेख तक नहीं है न किसी पंच वर्षीय योजना पर खर्च करने का ही उल्लेख है। इसमें साफ लिखा है : in clause 28:—

"The funds of the temple may be utilised for all or any of the following purposes, namely:—

(i) the administration and maintenance of the temple and the performance of the daily worship and ceremonies and the observance of

(श्री दामोदरलाल व्यास)

festivals therein;" एक बात भी इसमें पंच वर्षीय योजना की नहीं।

दूसरा है "(ii) the foundation and maintenance of hospitals and dispensaries for the relief of the pilgrims and worshipers visiting the temple;

तीसरा है (iii) the construction and maintenance of dharamshalas and rest houses for the use and accommodation of such pilgrims and worshipers;"

आज भी वहां धर्मशाला है। वहां यात्री लाखों की संख्या में आते हैं। माननीय सदस्य भी उस बात को जानते हैं। उन सबकी व्यवस्था करनी पड़ती है। मन्दिर का इन्तज़ाम जिनके हाथों में है उन्हीं को करनी पड़ती है।

चौथा है, "(iv) the provision of water supply and other sanitary arrangements therein;"

पांचवा है, "(v) the acquisition of any property authorised by the State Government;" मन्दिर के पर्पज के लिये किसी प्रोपर्टी को एक्वायर करना आवश्यक हुआ तो उस पर खर्च किया जायगा This is all subject to availability of funds. यहां यह नहीं कि नाथद्वारा के बाहर की कोई रोडस पर खर्च किया जायगा। बल्कि यात्रियों को किसी सड़क से असुविधा हो उसको बनाने की आवश्यकता हो, उसके अन्दर वह पैसा खर्च किया जायगा। (vi) "the construction and maintenance of roads and communications and the lighting thereof for the convenience of the pilgrims and worshipers". इस तरह से सरप्लस जो धन रहेगा वह इस तरह से युटिलाइज़ किया जायगा priority according to the order given.

पहले मन्दिर की सेवा पूजा के लिये, उसके बाद धर्मशाला के लिये यात्रियों पर खर्च किया जाय। इसके अलावा शिक्षा के लिये भी खर्च करने का प्रोविज़न इसमें है। पंचवर्षीय योजना में न तो इस पैसे का खर्च करने का इरादा है और न इसमें प्रावधान भी है।

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : पुष्टिमार्गीय सम्प्रदाय के लिये, उनके धर्म का प्रोपेगेन्डा करने के लिये, उसको आगे बढ़ने के लिये, उसकी फिलॉसोफी को आगे बढ़ाने के लिये क्या किया गया है?

श्री दामोदरलाल व्यास : Have a little patience please. I am just coming to that also. पुष्टिमार्गीय सम्प्रदाय की तरफ से इसका मैनेजमेन्ट होगा। "(2) Without prejudice, to the purposes referred to in sub-section (1), the Board may, with the previous sanction of the State Government, order that the surplus funds of the temple be utilised for :

(a) the establishment of a university or a college in which special provision is made for the study of the Hindu religion, philosophy and Shastras generally or of the tenets of the Pushtimarg faith in particular and for promoting the cultivation of Indian arts and architecture;"

(श्री दामोदरलाल व्यास)

पुष्टिमार्गीय सम्प्रदाय के लिये इसके अन्दर प्रोविज़न है। कॉलेज के अन्दर, युनिवर्सिटी के अन्दर पुष्टिमार्गीय परम्परा का प्रचार करने का इन्तज़ाम है।

श्री मदनसिंह : इसका मतलब है सैकुलर स्टेट होते हुए धर्म का चार्ज सरकार अपने हाथ में ले रही है।

श्री उपाध्यक्ष : Order Please !

श्री दामोदरलाल व्यास : "(b) promoting the study of Sanskrit and Hindi;".

श्री अनूपसिंह : जिस प्रकार आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स को एडवोकेट किया जा रहा है उसी तरह का होगा।

श्री उपाध्यक्ष : I hope the Hon. Member will not interrupt.

श्री दामोदरलाल व्यास : पंच वर्षीय योजना में रुपया खर्च करने का कोई सवाल ही नहीं है। There is absolutely nothing.

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, रेफर करते हैं तो जबाब देना पड़ता है। गवर्नमेंन्ट सैकुलर होते हुए एक धार्मिक पन्थ का काम हाथ में ले रही है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप धर्म के नाम पर जिस तरह हमेशा कहते आये हैं वह कहते रहिये। हमने तो धर्म की रक्षा करने के लिये और अच्छा प्रबन्ध करने के लिये कानून बनाया है। धर्म के नाम पर बातें करने का काम तो माननीय सदस्य का ही रखा है। गवर्नमेंन्ट को इसकी जरुरत नहीं है।

अभी मैं अर्ज कर रहा था जावली से आनेवाले माननीय सदस्य ने एक एतराज किया एन्डोवमेन्ट की डेफीनेशन में। वे आज हैं नहीं। उन्होंने जिस बात पर जोर दिया उसका जवाब भी खुद ही दे लिया। एन्डोवमेन्ट में शामिल नहीं करने से यह मतलब है कि महन्त की वह प्राईवेट प्रोपर्टी हो जावेगी और जैसा कोटा के मथुरेशजी का हाल हुआ वैसा ही यहां होने की सम्भावना हो जावेगी। तो मथुरेशजीवाले वाकये को रिपीट नहीं करना चाहते कि उनकी तरह मन्दिर की मूर्त्ति ही लेकर चले जावें। इसलिये सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि आइडोल की हिफाजत के लिये पहले कदम उठाया जाय और वह हमने किया है। मूर्त्ति उसकी प्राइवेट प्रोपर्टी में न रहे।

श्री मदनसिंह : जिसमें लाइफ नहीं है वह प्रोपर्टी रह सकती है क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जनसंघ के सिद्धान्त में प्राईवेट प्रोपर्टी मानते होंगे मूर्त्ति को। पर हम मूर्त्ति को और मन्दिर को सैपरेट नहीं करना चाहते। मूर्त्ति इसी में रहेगी तभी मन्दिर मन्दिर होगा। लाइफलैस और लाइफवाली चीज के कहने की इसमें जरुरत नहीं होती। प्रोपर्टी फिर वह कानून में होती है, इसलिये अर्ज किया। तो हम उस इन्स्टान्स को रिपीट नहीं करना चाहते जो कोटा में हुआ है। इसलिये इसको इसी तरह से रखना आवश्यक था। इसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने का सवाल नहीं होता। फिर मूर्त्ति को ही आप अलग कर देना चाहते हैं तो वहां क्या रह जावेगा? फिर किसकी व्यवस्था

(श्री दामोदरलाल व्यास)

करने की आप बात करते हैं ? इसलिये आपका यह ऐतराज़ ठीक नहीं है।

बाड़मेरवालों ने तो बहुत सा धर्म का उपदेश दिया इसके लिये तो उनको धन्यवाद ही दे सकता हूँ। उन्होंने धर्म में दखल देने का जो आरोप लगाया उसके बारे में निवेदन कर दूँ कि इस पर मैं बहुत विस्तार से बता चुका हूं कि इसमें किसी तरह का इन्टरफ़ीयरेन्स करने का सवाल ही नहीं है। फिर बिल के सैक्शन २२ में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है।

श्री अर्जनदास (अजमेर-पूर्व) : it is all on paper, sir.

श्री दामोदरलाल व्यास : "...nothing herein contained shall affect any established usage of the temple or the rights, honours, emoluments and perquisites to which any person, may by custom or otherwise, be entitled in the temple."

इसके बाद बहुत से सदस्यों ने सिविल सर्वेन्टस की बात कही। मैं बहुत अदब से कहना चाहता हूं कि यह कह देना कि सिविल सर्वेन्टस को अपॉइन्ट कर देने से कोई बहुत अनर्थ हो जावेगा, वे ईमानदारी से काम करेंगे नहीं। सरकार की जो मंशा है या जो बिल की मंशा है वह वे कभी पूरी होने देंगे नहीं तो यह कहना उनके प्रति न्याय नहीं है। सारे देश में सिविल सार्वेन्ट्स जितना काम कर रहे हैं, जितनी योग्यता से सारी योजनाओं को इम्प्लीमेन्ट कर रहे हैं यह किसी से छिपा नहीं है। यह दूसरी बात है कि बहस के लिये यह कहा जावे कि वे गड़बड़ियां करेंगे। क्या करेंगे, उन पर सारा का सारा कन्ट्रोल बोर्ड का है ? बोर्ड उनके हर काम में इन्टरफ़ीयर कर सकता है। उसके जितने भी अधिकार हैं सीमित कर दिये हैं, लिमिटेशन्स लगा दी हैं। फिर जैसा पहले भी कहा हमारे यहां गवर्नमेन्ट में भी डेलीगेशन ऑफ पॉवर्स होता है हरएक अफसर के लिये। फिर ये रोज़मर्रा के काम भी अगर बोर्ड पर डाल देते तो वह तो रोजमर्रा के काम के लिये बैठने वाला नहीं रोज रोज। उसमें कलकत्ता, बम्बई आदि दूर शहरों के लोग भी हैं। पुष्टिमार्गीय सम्प्रदाय सारे भारतवर्ष में फैला हुआ है, तो सारी जगहों से उनके प्रमुख लोग इस बोर्ड में होंगे। तो इसके लिये यह नहीं हो सकता कि डे-टु-डे के वर्क के लिये मीटिंगें करें। यह कानून के लिये भी मुमकिन नहीं होगा। कन्ट्रोलिंग पॉवर बोर्ड का है इसलिये यह एप्रीहेन्शन करना ठीक नहीं कि वह अपने पॉवर को मिसयूज़ करेगा।

श्री अनूपसिंह : The Future will show.

श्री दामोदरलाल व्यास : एक माननीय सदस्य जो श्रीमाधोपुर से आये हैं उन्होंने यह कहा कि कानून बनाने के लिये ऑफरिंग़ देने-वालों ने सरकार को नहीं कहा।

श्री अनूपसिंह : श्री माधोपुर से नहीं, दांता रामगढ़ से ?

श्री दामोदरलाल व्यास : sorry. दांता रामगढ़ से आनेवाले माननीय सदस्य ने जो बात बताई उसके लिये मैं निवेदन करु कि सारे हिन्दुस्तान से एक नहीं अनेक लोगों ने रिप्रेजेन्टेशन किया है सरकार को इसके लिये कि वह इसकी उचित व्यवस्था करे। उनके पास शायद नहीं आया होगा पर सरकार के

(श्री दामोदरलाल व्यास)

पास तो इस प्रकार के रिप्रेजेन्टेशन बहुत आये हैं।

श्री मदनसिंह : फिर आपने पब्लिक ओपीनियन के लिये इसे क्यों नहीं भेजा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : पब्लिक ओपीनियन बहुत क्रीएट हो गई। माननीय सदस्य ने भी बहुत क्रिएट कर दी।

(हंसी)

यह जानते हैं कि इसे पब्लिक ओपीनियन के लिये भेजने का मतलब है इनडेफीनेट पीरियड के लिये इसे टालना। सो टालने का अब सवाल नहीं है।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : On a Point of information, Sir, is the Hon. Minister prepared to place a copy of some of these petitions on the table of the House ?

श्री दामोदरलाल व्यास : What petitions ?

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : That you have received from Pushtimarg people.

श्री दामोदरलाल व्यास : Such petitions have been published in the papers.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : My question was whether you are prepared to place them on the table of the House ?

श्री उपाध्यक्ष : The question does not arise at all now.

श्री दामोदरलाल व्यास : दूसरी बात माननीय अध्यक्ष, यह कही गई कि कस्तूरबा ट्रस्ट और गांधी ट्रस्ट का क्या प्रबन्ध है ? माननीय सदस्य की जानकारी नहीं है कि उनके लिये ट्रस्ट बने हुए हैं और उनकी कानून में भी व्यवस्था है। यह नहीं समझें कि वहां कोई कानून या रूल नहीं है। उसका इन्तज़ाम बहुत माकूल है। आपको इसकी चिन्ता नहीं करनी चाहिये। अलबत्ता यह बात जरूर है कि वह सारा पैसा कल्याणकारी कामों में काम आता है। धार्मिक कामों में नहीं आता जैसा जनसंघ का फण्ड होता है। वह बिलकुल सही माने में नेशनल ट्रस्ट है, राष्ट्रीय कामों में उसका उपयोग होता है।

इसके बाद कहा गया कि कमिश्नर के नीचे है सारा काम, वह गवर्नमेन्ट का आदमी है। मैं बहुत विस्तार से बता चुका हूँ कि कमिश्नर का इसमें कोई अधिकार नहीं रखा गया है। कमिश्नर का नाम बार बार लिया गया है कि सारे अधिकार कमिश्नर को दे दिये गये। मैं फिर कह दूं कि वह तो केवल एक सदस्य है बोर्ड का और वह भी इसलिये कि वह उसके इन्टरेस्ट को वाच करता रहे। फिर इसमें सारे कायदे कानून बने हुए हैं।

श्री मदनसिंह : Because the Hon. Minister...

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! Order !! I disapprove the manner in which the dabate is being interrupted.

श्री दामोदरलाल व्यास : इसके बाद अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो लेटेस्ट डिसीज़न का हवाला दिया उसके लिये निवेदन कर दूं कि इससे उसका कोई ताल्लुक

(श्री दामोदरलाल व्यास)

नहीं है। इस प्रकार का कानून सारे हिन्दुस्तान में है।

तो इन शब्दों के साथ में सदन से प्रार्थना करता हूँ कि इसे पारित किया जावे और इस पर बहस ने काफी समय लिया। दांता रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने शान्ति से इसे सुना इसके लिये उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि नाथद्वारा मन्दिर विधेयक को पारित किया जावे।

(मत–दान के पश्चात्)

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) 'ना पक्ष' जीता Noes have it, Sir.

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): 'Ayes' have it, Sir.

(विभाजन घंटी के पश्चात्)

श्री उपाध्यक्ष : Division then ? 'Ayes' to 'Ayes lobby and 'Noes' to 'Noes' lobby.

(११. ११. म. पू.)

(विभाजन के पश्चात्)

श्री उपाध्यक्ष : I call the House to order, 'Ayes' 28, 'Noes' 11.

[विभाजन सूची के अनुसार 'हां' पक्ष व 'ना' पक्ष के सदस्य–]

'हां' पक्ष–२८

'ना' पक्ष–११

'हां' पक्ष

डॉ बहादुरसिंह

श्री भैरोंसिंह (खेजड़ला)

श्री भवानीशंकर नंदवाना

श्री दलीपसिंह

श्री दामोदरलाल व्यास

श्री देवीलाल

श्री धन्नालाल हरित

श्री गणपति लाल वर्मा

श्रीमती गौरीपूनिया

श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री

श्री जयसिंह राणावत

श्री जनार्दनराय नागर

श्री किशनलाल शर्मा

श्री लालूराम टटवाड़िया

श्री लक्ष्मण हीरात

सेठ श्री महेन्द्रसिंह (राजाखेड़ा)

श्री नाथूराम मिर्धा

श्री परसराम मदेरना

श्री पी० के० चौधरी

श्री रामचन्द्र

श्री रामदान चौधरी

श्री सज्जनसिंह

श्री सम्पतराम

श्री सोहनलाल भटनागर

श्री श्रीभानसिंह

श्री सुगनचन्द जैन

श्रीमती सुमित्रा

श्री वली मोहम्मद

(श्री उपाध्यक्ष)

'ना' पक्ष

श्री अनोपसिंह

श्री कालूराम

श्री लक्ष्मीचन्द

ठा० श्री मदनसिंह (दांता)

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर–पूर्व)

कुंवर श्री मंगलसिंह

राव बहादुर रावल श्री नरेन्द्रसिंह

श्री रघुवीरसिंह

श्री रामनारायण वर्मा

श्री शिवचरणदास

श्री सूरजमल

राजस्थान कोर्ट फी एण्ड स्टाम्प ड्यूटी लॉज (एक्सटेन्शन) संशोधन विधेयक, १९५९

(खण्डश : विचार–विमर्श एवं पारित)

श्री सम्पतराम (उपमंत्री, राजस्व विभाग): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कोर्ट फी एण्ड स्टाम्प ड्यूटी लॉज (एक्सटेन्शन) संशोधन विधेयक, १९५९ को विचारार्थ लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाये ?

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : I have got something to say on it, Sir.

श्री नाथूराम मिर्धा (मंत्री) : This is Court Fees & Stamp Duty Laws (Extention) Amendment Bill.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री लक्ष्मीचंद (सांचोर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज के एजेन्डा में यह चीज़ नहीं थी।

कुछ माननीय सदस्य : है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २ स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

क्लॉज २ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज ३

श्री सम्पतराम (उपमंत्री, राजस्व विभाग): उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन (बी) में है। इसमें '३१ दिसम्बर, १९४८' था इसके बजाय मई, १९५९' को किया गया है। क्योंकि यह पहले ऐसा था कि हमने सोचा था कि यह पहले सेशन में पास हो जायेगा लेकिन उसमें पास नहीं हुआ। अब इसमें यह टाइम बढ़ाया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फैसीलिटेट किया जाये। इसलिए इस टाइम फैक्टर को बढ़ाया है। यह बहुत ही फॉर्मल नेचर का अमेन्डमेन्ट है और इसमें ज्यादा कॉम्पलीकेशन्स की बात नहीं है।

इसके अलावा (सी) में भी एक अमे-

(श्री सम्पतराम)

न्डमेन्ट है सेकिण्ड लाइन में। इसमें भी 'मई, १६५६' किया गया है 'दिसम्बर,१६५८' के बजाय। इससे आगे चल कर टिकट की ज्यादा टाइम तक जमा करा सकें और थोड़ा टाइम रहता है इसलिए लोगों को ज्यादा फैसिलिटी दें। तो यह मार्च के बजाय 'अक्टूबर' किया है। And then in enacting formula, substitute 10th for 9th, and in clause 1, substitute 1959 for 1958.
ये बिल्कुल फॉर्मल नेचर के अमेंडमेंट हैं जो मैंने मूव किये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज ३ में जो संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं उन्हें स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किये गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ३, संशोधित रूप में, स्वीकार किया जाय।

क्लॉज ३, संशोधित रूप से विधेयक का का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज ४

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ४ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज १

श्री सम्पतराम (उपमंत्री, राजस्व विभाग) उपाध्यक्ष महोदय,यह बहुत फॉर्मल नेचर का है। क्योंकि पहले सेशन में हो नहीं सका, इसलिए शोर्ट टाइटल, प्रिएम्बल में एक्ट, १६५८ की जगह एक्ट १६५६ प्रपोज़ किया है। मैं समझता हूं सदन इसको स्वीकार कर लेगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज १ व इनेक्टिंग फॉर्मुला में जो संशोधन प्रस्तुत किये हैं उनको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किये गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १, टाइटल, प्रिएम्बल इत्यादि, संशोधित रूप में, स्वीकार किये जांय।

(स्वीकृत)

क्लॉज १, टाइटल, प्रिएम्बल इत्यादि, संशोधित रूप में, विधेयक के अंग बने।

श्री सम्पतराम : उपाध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कोर्ट फीस एण्ड स्टाम्प ड्युटी लॉज (एक्सटेन्शन) संशोधन विधेयक, १६५६ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान कोर्ट फीस एण्ड स्टाम्प ड्युटी लॉज

(श्री उपाध्यक्ष)

(एक्सटेन्शन) संशोधन विधेयक, १६५६ को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

(करतलध्वनि)

श्री उपाध्यक्ष : We now adjourn to meet on monday at 4 P. M.

तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. पू. ११ बज कर २३ मिनट पर सोमवार दिनांक २ मार्च, १६५६ के म. प. ४ बजे तक के लिए स्थगित हुई।

संक्षिप्त-विवरण

(शनिवार, २८ फरवरी, ५९)

स्कम्भ		स्कम्भ

विचारार्थ लिये गये विधेयक

(१) नाथद्वारा मन्दिर विधेयक, १९५९ — १८८१

उपरोक्त विधेयक पर खण्ड ६ से विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड ६ से ११, १३, १५, से २९, ३१ से ३८ तथा खण्ड १ आदि बिना किसी संशोधन के स्वीकार किये गये।

खण्ड १२, १४ एवं ३० संशोधित रूप में स्वीकृत हुए।

तत्पश्चात् विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

(२) राजस्थान कोर्ट फी एण्ड स्टाम्प ड्यूटी लॉज (एक्सटेंशन) संशोधन विधेयक १९५८ — १८७१

श्री सन्तराम, उप-मंत्री, के प्रस्ताव पर विधेयक विचारार्थ लिया गया।

तत्पश्चात् विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड २ स्वीकृत हुआ

खण्ड ३ संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड ४ स्वीकृत हुआ।

खण्ड १ संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

सोमवार दिनांक २ मार्च, ५९ की कार्य-सूची

वार्षिक वित्तीय-विवरण, १९५९-६०, का उपस्थापन

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण दिनांक २८ फरवरी, ५६)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
१७८६	अन्तिम	कार्यन्वित	कार्यान्वित
१७६१	६	चहता हूँ	चाहता हूं
१७६६	अन्तिम	डिसएप्रव	डिसएप्रूव
१८०२	२३	linancil Powars	linancial Powers
१८०५	१७	उतना ैसा	उतना पैसा
१८१८	२१	degree	decree
१८३४	३	उनकी	उनको
१८४४	अन्तिम	सा हो भी जाय	ऐसा हो भी जाय
१८४६	११	तेरी रत्ता	उसकी रत्ता
१८५३	अन्तिम से ३	इन्टिट्यूशन	इन्स्टिट्यूशन
१८६०	७	ट्राम्ब	टोम्ब
१८६४	३	जावली से	मावली से
१८६५	१२	(अजमेर-पूर्व)	(अजमेर-पश्चिम)
१८७१	१७	खगाशः	खन्डशः